खण्ड–34, अंक–04
गुरूवार, 10 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(31 मई, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	... ...	''क''
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग		1–3
प्रश्नोत्तर	... ...	3–31
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग (क्रमांगत)	... ...	31–34
वित्तीय वर्ष 2012–13 का आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण	... ...	34–66

''क''

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्‌ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखूरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री गणेश गोदियाल
10–श्री गणेश जोशी
11–श्री चन्दन राम दास
12–श्री चन्द शेखर
13–डा0 जीत राम
14–श्री तीरथ सिंह
15–श्री दलीप सिंह रावत
16–श्री दान सिंह भण्डारी
17–श्री दिनेश अग्रवाल
18–श्री दिनेश धनै
19–श्री नवप्रभात
20–श्री नारायणराम आर्य
21–श्री पुष्कर सिंह धामी
22–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
24–श्री प्रदीप बत्रा
25–श्री प्रीतम सिंह
26–श्री प्रीतम सिंह पंवार
27–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28–श्री प्रेम सिंह
29–श्री फुरकान अहमद
30–श्री बंशीधर भगत
31–श्री भीमलाल आर्य
32–श्री मदन कौशिक
33–श्री मदन सिंह बिष्ट
34–श्री मनोज तिवारी
35–श्री मयूख सिंह
36–श्री महावीर सिंह
37–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38–श्री यतीश्वरानन्द
39–श्री यशपाल आर्य
40–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''
41–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
42–श्री राज कुमार
43–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44–श्री राजेश शुक्ला
45–श्री ललित फर्स्वाण
46–श्री विक्रम सिंह नेगी
47–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49–श्री बिशन सिंह चुफाल
50–श्रीमती शैला रानी रावत
51–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52–श्री संजय गुप्ता
53–श्री सरवत करीम अंसारी
54–श्रीमती सरिता आर्या
55–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
56–श्री सुबोध उनियाल
57–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60–श्री हरक सिंह रावत
61–श्री हरबन्स कपूर
62–श्री हरभजन सिंह चीमा
63–श्री हरिदास
64–श्री हरीश धामी
65–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66–श्री हेमेश खर्कवाल

गुरूवार, दिनांक 31 मई, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे
अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पेट्रोल की कीमतों को लेकर और महंगाई को लेकर पूरे देश में भारत बन्द है, पूरा काम ठप पड़ा हुआ है, देहरादून समेत पूरा उत्तराखण्ड बन्द है। मान्यवर, इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि सारे नियमों को स्थगित करके, निलम्बित करके इस पर चर्चा कराया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस कदर पेट्रोल की कीमत एकमुश्त बढ़ी और उसकी वजह से पूरी महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई से यह प्रदेश भी अछूता नहीं है, पूरे भारत के व्यापारियों ने और यहाँ के लोगों ने और हमारी पार्टी का भी निर्देश है, सारे लोगों ने आज भारत बन्द की शुरूआत की है और यह आज सुबह से प्रारम्भ हो गया है, लोग साईकिलों से आज चले हैं प्रतीकात्मक रूप में जिस तरह से आज तेल की कीमतों को लेकर हाय–हाय मची हुई है, चारों तरह पेट्रोल की कीमतें एकमुश्त एक रात में बढ़ा दी गई है, उससे पहले कम से कम 10 बार बढ़ाई गई, इसलिए मेरा निवेदन है कि आज नियम–310 में इसकी चर्चा होना अति आवश्यक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा नत्थी–क तारांकित प्रश्न संख्या–1 माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो विषय उठाया है, आज महंगाई के कारण पूरी जनता त्रस्त है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष—

मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित करें, कृपया बैठ जायें।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें चर्चा होनी ही चाहिए। मान्यवर, इससे आप भी प्रभावित है और पूरा स्टेट प्रभावित है, इससे उत्तराखण्ड राज्य भी अछूता नहीं है। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

माननीय भट्ट जी, प्रश्नकाल के बाद इस मामले को लायें। (व्यवधान) मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें, प्रश्नकाल के बाद जो विषय आपका है उसे उठायें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठें, आसन ग्रहण करें और प्रश्नकाल के बाद जो आपका विषय है उसको लायें। (व्यवधान) मैं सदन को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने—अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी—अपनी बात कहने लगे।)

श्री अजय भट्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, आज महंगाई के मुद्दे पर पूरा देश बन्द है और व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है। आज हमारा प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा भारत बन्द है। यही हमारी राजधानी देहरादून भी पूरी तरह से बन्द है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर चर्चा करायी जाय। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, यह प्रश्नकाल से भी महत्वपूर्ण विषय है। (भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें, प्रश्नकाल आपका है, प्रश्नकाल को चलने दें। (घोर व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात को रिकार्ड न किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन की कार्यवाही 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा वर्ष 2012 हेतु स्थानान्तरण नीति का स्वरूप

*1–श्री तीरथ सिंह तथा श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 2012 हेतु स्थानान्तरण नीति बना दी गयी है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

क्या सरकार उक्त नीति की एक प्रति सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल, कृषि एवं शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2011 यथासंशोधित अध्यादेश, 2012 लागू है।

नोटः– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

तारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी अन्तर्गत यमकेश्वर में प्रस्तावित पम्पिंग पेयजल योजना हेतु धन की स्वीकृति

*1—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में पेयजल की कमी हैं ?

यदि हाँ, तो प्रस्तावित पम्पिंग पेयजल योजना क्रमशः सिलोगी, गहली, जुलैडी एवं परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना। फेज हेतु धन की स्वीकृति कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ। क्षेत्र में गुरूत्व जल स्रोतों में जल स्राव कम होने से पेयजल की कमी हुई है।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में पेयजल की कमी के निदान हेतु 04 पम्पिंग पेयजल योजनायें क्रमशः सिलोगी, गहली, जुलैड़ी एवं परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजनाओं प्रस्तावित की गयी है। उक्त योजना के प्राक्कलन विभिन्न स्तरों पर परीक्षण कर गठित किये जा रहे हैं। पम्पिंग योजनाओं के निर्माण लागत एवं निर्माण उपरान्त रख—रखाव की अत्यधिक लागत के दृष्टिगत पम्पिंग योजनाओं के विकल्पों पर विस्तृत अन्वेषण भी किया जा रहा है। प्राक्कलन गठन एवं योजना स्वीकृति के पश्चात ही धनराशि स्वीकृत की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण नीति में किये गये संशोधन

*2—श्री गणेश जोशी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभागीय वार्षिक स्थानान्तरण नीति में किये गये संशोधनों में, उन विभागीय कर्मचारियों जिनके पति या पत्नी शासकीय कर्मचारी हैं, तो दुर्गम/सुगम में निकटतम विद्यालय/कार्यालय में एवं उन कर्मचारियों के जिनके पति या पत्नी केन्द्रीय सेवा में हैं और उत्तराखण्ड में सेवा दे रहें है उनके लिए निकटतम सुगम/दुर्गम में स्थानान्तरण का प्राविधान किया गया है।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं।

वर्तमान में ''उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2011 यथा (संशोधन) अध्यादेश, 2012'' लागू हैं। उक्त अध्यादेश की धारा–13 (3) में उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी यदि एक ही स्थान पर तैनाती हेतु इच्छुक हो तो वे तद्नुसार एक स्थान पर तैनाती हेतु अनुरोध करने के पात्र हैं। केन्द्रीय सेवा में कार्यरत पति या पत्नी उत्तराखण्ड में सेवा दे रहे हैं उनके लिए एक ही स्थान पर तैनाती हेतु अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।

उत्तराखण्ड के काश्तकारों को सब्जी एवं फल उत्पादकों को प्राकृतिक कारणों से नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु फसल बीमा का समय पर भुगतान हेतु नीति

*3–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के कास्तकारों को आलू एवं फल उत्पादों को ओलावृष्टि व अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु फसल बीमा का समय पर भुगतान करवाये जाने हेतु शासन स्तर पर कोई कारगर नीति निर्धारित की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं पर्यटन मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

नीति निर्धारित है किन्तु निर्धारित नीति में ओलावृष्टि से होने वाली क्षति पूर्ति सम्मिलित नहीं है।

भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकारों के सहयोग से समस्त भारत में संचालित की जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में भी फसल बीमा योजना संचालित है। राज्य में औद्यानिक फसलों यथा सेब, आम, लीची, आलू, अदरक एवं टमाटर को भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मौसमी कारकों तथा अभिशीतता, तापमान, वर्षा, हवा की गति (आंधी) एवं आर्द्रता आदि से उपरोक्त फसलों को होने वाली सम्भावित क्षति के विरूद्ध निर्धारित नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई शामिल नहीं है। उपर्युक्त संसूचित फसलों के लिए वर्ष 2010–11 तक की क्षतिपूर्ति निस्तारित की जा चुकी है। उक्त योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का निस्तारण राज्य शासनादेश के अनुरूप बीमा कम्पनी के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना में प्रीमियम में अनुदान निर्गत किया जाता है। वर्तमान मौसम खरीफ 2012 के लिए आलू अदरक एवं टमाटर की फसलों को बीमित करने के लिए राज्य द्वारा शासनादेश जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित निजी स्कूलों को आर0टी0ई0 कानून के दायरे में लाने पर विचार

*4–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून स्थित सेंट जोजफ्स एकेडमी, सेट थॉमस, कान्वेंट जीसस एण्ड मैरी, हिल्टन स्कूल, सेंट जूड्स, गुरूनानक एकेडमी, दून इंटरनेशलन स्कूल राइट टू एजूकेशन कानून के दायरे में आते हैं ?

यदि हाँ, तो उक्त स्कूलों में अब तक आर0टी0ई0 के तहत कितनी सीटों पर दाखिल हुए हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इन स्कूलों को आर0टी0ई0 कानून के दायरे में लाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित वाद संख्या (सी) नं0 95 ऑफ 2010, सोसाइटी फार अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम यू0ओ0आई0 व अन्य में दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को दिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 केन्द्रीय अधिनियम होने के कारण।

प्रदेश में प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण एवं पदोन्नति

*5–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में तदर्थ प्रवक्ताओं को उनकी विनियमितीकरण तिथि से मौलिक नियुक्ति प्रदान की गयी है जबकि सहायक अध्यापक से प्रवक्ता से हुई तदर्थ पदोन्नति का विनियमितीकरण किया गया है ?

यदि हाँ, तो तदर्थ पदोन्नति से पूर्व की सेवाओं के विनियमितीकरण से पूर्व मौलिक नियुक्ति के किन–किन प्राविधानों के तहत दी गयी है ?

क्या पूर्व में भी इस प्रकार की मौलिक नियुक्तियाँ दी गयी हैं ?

यदि हाँ, तो पूरा ब्योरा देने का कष्ट करें।

यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियमों में किसी प्राविधान के तहत विनियमितीकरण की तिथि से पूर्व ही मौलिक पदोन्नति से दे दी गयी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं, तदर्थ नियुक्त शिक्षकों की विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के प्राविधानों के अन्तर्गत विनियमितीकृत शिक्षकों के प्रथम निर्गत विनियमितीकरण आदेश की तिथि ही उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि निर्धारित की गयी है। तदर्थ पदोन्नत शिक्षकों का नियमित चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया गया है।

तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के पश्चात् ही एल0टी0 शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी तथा वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु वर्षवार रिक्त पदों के सापेक्ष मौलिक नियुक्तियों का वर्ष आवंटित किया गया है।

राज्य गठन के पश्चात् इस प्रकार की मौलिक नियुक्तियाँ नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य गठन के समय अत्यधिक संख्या में प्रवक्ताओं के पद रिक्त होने तथा वरिष्ठता सूचियां अन्तिम न होने के फलस्वरूप छात्रहित में जनहित में तात्कालिक व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2001 से 2007 तक तदर्थ पदोन्नतियाँ की गयी। उक्त पदोन्नत शिक्षकों में बी0एड0 एवं नॉन बी0एड0 दोनों प्रकार के प्रशिक्षण योग्यताधारी थे। वर्ष 2008 में उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली 2008 प्रख्यापित हुई। उक्त नियमावली में प्रवक्ता संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण योग्यता बी0एड0 का प्राविधान है। उक्त पदोन्नत शिक्षकों में नॉन बी0एड0 योग्यताधारी शिक्षक होने के कारण उनका चयन नहीं किया जा सका। चयन न होने की दशा में प्रत्येक वर्ष की रिक्ति के सापेक्ष आयोग द्वारा उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 मे निहित प्राविधानानुसार प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु चयन किया गया। जिस चयन वर्ष में जो कार्मिक चयनित हुआ है, उसे "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग–2, ज्येष्ठता के अवधारण के प्रस्तर–7 के आधार पर चयन वर्ष में ही मौलिक पदोन्नति प्रदान की गयी है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा में पेयजल की आपूर्ति हेतु जनरेटर सुविधा

*6–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के

विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खटीमा क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति हेतु जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक जनरेटर सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खटीमा नगर की जलापूर्ति नलकूपों के माध्यम से की जाती है। जिसके लिए स्वतंत्र विद्युत फीडर की व्यवस्था की गयी है।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत लोहाघाट एवं आस–पास के गाँवों लिफ्ट पेयजल योजना पर विचार

*7–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि लोहाघाट जनपद चम्पावत में वर्तमान में भीषण पेयजल संकट है ?

क्या सरकार सरयू नदी से लोहाघाट नगर एवं आस–पास के गाँवों हेतु लिफ्ट पेयजल बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

लोहाघाट नगर हेतु सरयू नदी से पम्पिंग पेयजल योजना विचाराधीन है उक्त नगर के आस–पास के गाँव हेतु ग्राम पंचायतों से स्वैप पद्धति में माँग आधारित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है।

लोहाघाट नगर हेतु सरयू नदी से पम्पिंग पेयजल योजना हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। सम्यक परिक्षणोपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लागू होने के फलस्वरूप विद्यालयों में सृजित शिक्षकों के पद एवं नियुक्ति हेतु योजना

*8–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार लागू होने के फलस्वरूप जनपदवार विद्यालयों में शिक्षकों के कुल कितने पद सृजित हुए हैं?

क्या उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप शिक्षकों के अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं हुए हैं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर राज्य के समस्त विद्यालयों में विद्यालयवार वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर प्रति विद्यालय शिक्षकों के वांछित पदों तथा कुल सृजित/उपलब्ध पदों के विवेकीकरण (Rationalization) के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

राज्य में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने हेतु योजना

*9–श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में दूषित पेयजल की समस्या जनता को हो रही है ?

यदि हाँ, तो गर्मी एवं यात्रा सीजन के चलते क्या नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ??

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में जड़ी–बूटी शोध केन्द्र की स्थापना पर विचार

1–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत जड़ी–बूटी शोध केन्द्र स्थापित किए जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत हाईस्कूलों में सृजित अध्यापकों के पद

2–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रा0मा0 शिक्षा के अन्तर्गत उच्चीकृत हाईस्कूलों में अध्यापकों के पद भी सृजित हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में उच्चीकृत हाईस्कूलों में अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं, तथा वर्ष 2011–12 में उच्चीकृत 147 हाईस्कूलों में पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट के भवन निर्माण में विलम्ब की जाँच एवं स्वीकृत धनराशि

3–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट के भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि किस वर्ष स्वीकृत हुई थी तथा अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्माण एजेंसी द्वारा विलम्ब से कार्य किये जाने की जाँच कराकर छात्र हित में शीघ्र भवन निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्ष	धनराशि
2004–05	40.00 लाख
2006–07	100.00 लाख
2007–08	150.00 लाख
2008–09	98.81 लाख
	388.81 लाख

प्रथम चरण के कार्य का 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति पूर्ण हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत कस्तूरबा गाँधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्या व छात्रावास हेतु स्वीकृत धनराशि

4–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कस्तूरबा गाँधी नवोदय विद्यालय, गंगोलीहाट जनपद पिथौरागढ़ में कितनी छात्रायें अध्ययनरत् हैं तथा कितनी धनराशि द्वारा छात्रावास का निर्माण किया गया ?

क्या यह सत्य है पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटन कर उक्त छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक छात्रावास का निर्माण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ में कस्तूरबा गाँधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट नाम से कोई विद्यालय संचालित नहीं है, वरन् कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, दशाईथल गंगोलीहाट संचालित है, जिसमें 78 छात्राएं अध्ययनरत हैं। उक्त कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रु0 36.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है।

जी हाँ।

उक्त आवासीय विद्यालय का 80% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत भट्टा फॉल व मसूरी झील के सौन्दर्यीकरण हेतु विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाएं

5–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत भट्टा फॉल एवं मसूरी झील के सौन्दर्यीकरण योजना की निविदायें विभाग द्वारा आमंत्रित की गयी थीं ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्णित योजना की निविदायें विभाग द्वारा आमंत्रित नहीं की गयी हैं।

भट्टा फॉल को पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा यू0आई0पी0सी0 को कार्यादेश दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के बैजनाथ धाम को चार धाम यात्रा मार्ग से जोड़ने पर विचार

6–श्री चन्दन राम दास–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के बैजनाथ धाम को चार धाम यात्रा मार्ग से जोड़ने का प्रयास करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

बैजनाथ धाम को चारधाम यात्रा मार्ग से जोड़ने के लिए चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को यात्रा के उपरान्त कुमायूं के बैजनाथ, कार्बेट नेशनल पार्क आदि स्थानों का भ्रमण करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा सुझाव/संदेश के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला में पर्यटन सुविधाओं हेतु किये गये कार्य एवं विकास योजना

7—श्री हरीश धामी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं हेतु क्या—क्या कार्य किये गये हैं ?

तथा भविष्य में उक्त क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो क्यों ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

धारचूला विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत धारचूला, नारायण आश्रम, छिपलाकेदार क्षेत्र, दारमा घाटी, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग आदि कैलाश मार्ग, मिलम ग्लेशियर मार्ग, मुनस्यारी, ग्राम मांगती, गूंजी, दांतू, दुग्तू, कुटी आदि स्थानों में पर्यटन विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यथा—पिथौरागढ़—बेरीनाग—मुनस्यारी पर्यटन सर्किट, मुनस्यारी पर्यटन डेस्टिनेशन, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर कैम्पिंग साईड एवं सुविधाओं का विकास, दारमा—व्यास घाटी पर्यटन डेस्टिनेशन कार्य कराये गये हैं/धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला योजना राज्य योजना तथा टी0एस0पी0 के अन्तर्गत भी विभिन्न वर्षों में धनराशि स्वीकृत की गयी है, यथा—आदि कैलाश मार्ग में आवासीय सुविधाओं का विस्तार एवं पार्वती सरोवर क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण, धारचूला कस्बे में काली नदी में दायें किनारे पर झूलापुल के अपस्ट्रीम में पर्यटन विकास सौन्दर्यीकरण एवं घाटों का निर्माण, मुनस्यारी में साहसिक गतिविधियों हेतु उपकरणों की व्यवस्था, मुनस्यारी एवं धारचूला के जनजातीय गाँवों के युवाओं के लिए माउण्टेन गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि कैलाश में जौलिंगकांग से विदांग गौ तक सम्पर्क मार्ग, गौ बुकांग से सीपू ग्लेशियर तक सम्पर्क मार्ग, ग्राम सभा दर से पंचाचूली बेस कैम्प तक सामुदायिक मिलन केन्द्रों तथा सम्पर्क मार्ग का निर्माण, मुनस्यारी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पर्यटन विकास—सौन्दर्यीकरण, नगर पंचायत धारचूला के अन्तर्गत टाइल बिछाने का कार्य, गबला देवी मन्दिर जौलजीवी का सौन्दर्यीकरण, ग्राम पंचायत दर गरम पानी मूल स्रोत में पर्यटन स्थल का सौन्दर्यीकरण, धारचूला नगर पंचायत के 13 स्थलों के पर्यटन विकास/पार्क तथा सौन्दर्यीकरण, गलती से छिपलाकेदार तक सम्पर्क मार्ग, जाड़ा से कनार तक सम्पर्क

मार्ग, नौला से छिपला केदार मार्ग तक का सुधारीकरण, नौला मन्दिर परिसर मुम्मा का सौन्दर्यीकरण, छिपला हरचरन मन्दिर स्यांकरी का सौन्दर्यीकरण धारचूला कोट का सौन्दर्यीकरण, मुनस्यारी में गवलज्यू मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, दारमा घाटी में दांतु का पर्यटन विकास, गर्गुला मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, पर्यटन स्थल छिपलाकोट में टिन रोड तथा तवाघाट खेला गगुर्वा से छिपलाकोट मार्ग का निर्माण , पर्यटन स्थल कनार तक सम्पर्क मार्ग तथा सामुदायिक मिलन केन्द्रों का निर्माण, मिलन ग्लेशियर का पर्यटन विकास आदि।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाारधीन नहीं है।?

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत स्योली जूनियर हाईस्कूल में पेयजल की व्यवस्था

8—श्री तीरथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत ''स्योली जूनियर हाईस्कूल में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है ?

यदि नहीं, तो कब तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल स्योली में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। निकटवर्ती स्रोत जन्द्रा देवी के टैंक से पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।

विद्यालय के पास उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा हैंण्ड पम्प लगाने का प्रयास किया गया है कि किन्तु वहाँ भूगर्भ जल का स्तर काफी नीचे होने के कारण प्रयास सफल नहीं हो सका। विद्यालय से डेढ़ किमी0 दूर नौगाँवखाल (मंवाणा) के टैंक से जल संस्थान द्वारा पानी की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की प्रयास किया जा रहा है।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर के इण्टर कालेज व उ0मा0वि0 में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था

9—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल) के इण्टर कालेजों एवं उ0म0 विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रवक्ता वेतनक्रम में 02 पदों पर पदोन्नति द्वारा तथा नवीन नियुक्ति के माध्यम से 14 नियुक्तियाँ की गयी हैं। इसी प्रकार सहायक अध्यापक एल0टी0 के रिक्त पदों के सापेक्ष नवीन नियुक्ति तथा समायोजन/पदोन्नति के द्वारा 08 पदों पर नियुक्ति की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में अतिवृष्टि से फसल को हुई क्षति हेतु मुआवजा

10–श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत पुरोला, नौगाँव, मोरी में सेब बागवानों को हाल ही में हुई अति ओलावृष्टि से क्षति हेतु मुआवजा दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो इसका मानक क्या होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न फसलों/फलों के लिए बीमा योजना संचालित है। यह बीमा योजना मौसम आधारित कारकों यथा तापमान, अभिशीतन, आद्रता, वर्षा की अधिकता/कमी/बेमौसमी वर्षा एवं आंधी (तेज हवा) आदि के आधार पर करने के निर्देश हैं। इस प्राकृतिक कारकों में ओला नहीं जोड़ा गया है। कृषकों को इस योजना के अन्तर्गत अपनी फसल बीमित कराना होता है।

चूँकि भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा में ओला नहीं जोड़ा गया है। अतः ओला से होने वाली क्षति का मुआवजा देय नहीं है। परन्तु अन्य कारकों यथा तापमान अभिशीतता, वर्षा से होने वाली क्षति का नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है।

उत्तराखण्ड सरकार की भी ओलावृष्टि से क्षतिपूर्ति की कोई योजना संचालित नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में सेब बागवानों को हिमालच पैटर्न पर सरकार द्वारा समर्थन मूल्य

11–श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव, पुरोला, मोरी में सेब बागवानों को हिमाचल पैटर्न पर सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

योजना लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत पुरोला, नौगाँव, मोरी में अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का हिमाचल पैटर्न पर समर्थन बीमा देने पर विचार

12–श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत पुरोला, नौगाँव, मोरी में बागवान व कृषकों को अतिवृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान का हिमाचल पैटर्न पर समर्थन बीमा देने पर सरकार विचार करेगी, जो कि किसानों व बागवानों को के0सी0सी0 ऋण के समय भी दिया जाता है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में संचालित हो रही है। मौसम आधारित कारक यथा तापमान परिवर्तन, आँधी (तेज हवा), आर्द्रता, अधिक/कम वर्षा/बेमौसमी वर्षा आदि निर्धारित किये गये हैं। यह योजना उत्तरकाशी जनपद में भी लागू है। जिन उद्यानपतियों/कृषकों ने सेब, टमाटर, अदरक एवं आलू आदि फसलों के लिए बीमित कराया है, उन कृषकों को अतिवृष्टि से होने वाली क्षति का मुआवजा दिया जायेगा। यह योजना हिमाचल प्रदेश के साथ–साथ सम्पूर्ण देश में लागू है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत स्थित विभिन्न खुबसूरत पर्यटन स्थलों को उत्तराखण्ड के पर्यटक मानचित्र पर दर्शाने पर विचार

13—श्री माल चन्द—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत केदारकांठा, चांगशील, माहनीर, पोस्टारा, दुन्दा, देवबन, बौखटिम्बा, देवराना, सरताल, बरराड़सर, देवक्यारा, जीवड़ताल, बड़ासुपास, बाल्ली पास, यमुनोत्री जास, हरकी दून पास जो कि उत्तराखण्ड के ही नहीं बल्कि देश भर के सभी पर्यटक स्थलों से खूबसूरत व सुरक्षित है ? क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थानों को उत्तराखण्ड के पर्यटक मानत्रित में दर्शायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड के मानचित्र में नैटवाड़, सौड़, जखोल, तालुका, ओसला, सीमा, रूइन्साराताल एवं हरकीदून आदि स्थलों को दर्शाया गया है। अन्य वर्णित स्थलों को पर्यटन मानचित्र में दर्शाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी स्थित जार्ज एवरेस्ट के विकास हेतु योजना

14—श्री गणेश जोशी—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी क्षेत्र में पर्यटन स्थल जार्ज एवरेस्ट अपेक्षित सुविधाओं के अभाव में बदहाली की स्थिति में है? यदि हाँ, तो सरकार जार्ज एवरेस्ट के विकास के लिए कोई वृहद योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

प्रस्तावित हाथीपांव—मसूरी रोप—वे परियोजना के अन्तर्गत जार्ज एवरेस्ट को भी विकसित करने का प्रस्ताव है। उक्त रोप—वे परियोजना का प्रस्ताव लार्ज रिवेन्यू जेनरेटिंग

(एल0आर0जी0) योजना के अन्तर्गत रु0 50 करोड़ की माँग के साथ पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत पुरूकुल से हाथी पांव तक रोप–वे निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाएं

15–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पुरूकुल से हाथी पांव तक रोप–वे के निर्माण की योजना स्वीकृत कर योजना की निविदायें भी आमंत्रित की गयी थी ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त योजना को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ। निविदा में भाग लेने वाली कम्पनियों का रोप–वे निर्माण में अल्प अनुभव पाये जाने के कारण निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था।

पुरूकुल से हाथी पांव एवं हाथी पांव से मसूरी तक रोप–वे निर्माण की योजना बृहद व्यय साध्य होने के कारण योजना का कार्य दो चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में हाथी पांव से मसूरी तक रोप–वे निर्माण हेतु भारत सरकार से एल0आर0जी0 स्कीम के तहत धनराशि की माँग की गई है। तदोपरान्त द्वितीय चरण में पुरूकुल से हाथी पांव तक रोप–वे निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानाध्यापक पद हेतु पदोन्नति का प्राविधान व पदोन्नति में निर्धारित कोटा

16–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में राजपत्रित पद (प्रधानाध्यापक) हेतु पदोन्नति का क्या प्राविधान है ?

क्या तदर्थ नियुक्त/विनियमितीकृत प्रवक्ता को सीधी भर्ती माना गया है ?

यदि हाँ, तो पदोन्नति में प्रवक्ता कोटे में आयोग से चयनित प्रवक्ता/विनियमितीकृत प्रवक्ता किसे वरीयता दी जायेगी और आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं को पदोन्नति में कितना कोटा निर्धारित है ?

यदि नहीं, तो क्या उनके पदोन्नति से सम्बन्धित कोई विभागीय परीक्षा का प्राविधान है यदि नहीं, तो क्या सरकार केन्द्रीय स्कूलों की पद्धति पर पदोन्नति में विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा नियमावली 1993 के प्राविधानों के अनुसार प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रवक्ता संवर्ग के 45 प्रतिशत एवं सहायक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड) संवर्ग के 55 प्रतिशत के अनुपात में पदोन्नति मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है।

जी हाँ, तदर्थ नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण, सीधी भर्ती के पदों के प्रति किया जाता है।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है तथा ज्येष्ठता अनुसार ही पदोन्नतियाँ की जाती हैं। इसमें आयोग से चयनित प्रवक्ताओं हेतु पृथक से कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा नियमावली 1993 के प्राविधानों के अनुसार ही प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र के मेलों को बढ़ावा देने हेतु उत्तरायणी को राज्य मेला घोषित करने पर विचार

17–श्री चन्दन राम दास–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र के मेलों को बढ़ावा दिये जाने के लिए उत्तरायणी को राज्य मेला घोषित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत राज्य मेला घोषित किए जाने की कोई नीति एवं योजना वर्तमान में प्रचलित नहीं है। जनपद मुख्यालय बागेश्वर में प्रतिवर्ष उत्तरायणी पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाला उत्तरायणी मेला संस्कृति विभाग के अन्तर्गत पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक मेलों की सूची में सम्मिलित है तथा उक्त मेले के आयोजन हेतु संस्कृति विभाग द्वारा सामान्यतः आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन एवं मेला समिति की माँग के अनुसार संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिवर्ष सांस्कृतिक दलों/कलाकारों को अनुबन्धित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु उत्तरायणी मेले में भेजा जाता है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर का आयोजन एवं व्यवस्थायें जिला प्रशासन तथा नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर द्वारा सम्पादित की जाती है।

राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर कालेजों एवं बागेश्वर स्थित उ0मा0वि0 (असौं) का उच्चीकरण हेतु कार्यवाही

18—श्री चन्दन राम दास—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर कालेजों में उच्चीकरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उ0मा0वि0 (असौं) बागेश्वर को इण्टर कालेज में उच्चीकरण हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

शासन स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

राज्य में छात्रविहीन विद्यालय एवं अन्य विद्यालयों में समायोजन

19—श्री मदन कौशिक—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में ऐसे कितने विद्यालय है जहाँ पर छात्र संख्या शून्य है एवं 10 से कम है ?

क्या शून्य छात्र संख्या के विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त किये गये हैं?

क्या सरकार ऐसे विद्यालयों, अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में समायोजित करने का विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

राज्य में शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों की संख्या 151 एवं 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की संख्या 855 है।

जी नहीं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

क्योंकि इन विद्यालयों में अध्यापक नियुक्त नहीं है।

राज्य में राजकीय कृषि फार्म की संख्या व घाटे में चल रहें फार्मों को उबारने हेतु योजना

20—श्री मदन कौशिक—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में कुल कितने राजकीय कृषि फार्म हैं व कितने कृषि फार्म घाटे में हैं तथा कितने लाभ में चल रहे हैं ?

क्या सरकार घाटे में चल रहे कृषि फार्मों को उबारने हेतु कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

वर्तमान में उत्तराखण्ड में कुल 06 (छः) राजकीय कृषि फार्म हैं।

02 (दो) कृषि फार्म घाटे में हैं तथा 04 (चार) कृषि फार्म लाभ की स्थिति में हैं।

जी हाँ।

घाटे पर चल रहे दो फार्मों—नौथा (टिहरी) एवं पंवालिया (रूद्रप्रयाग) में पर्यटन विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रा0उ0मा0वि0 के एक परिसर में नहीं चलने वाले पूर्व मा0वि0 की संख्या तथा एकीकरण पर विचार

21–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जो रा0उ0मा0वि0 के एक परिसर में नहीं चल रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों का एकीकरण करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश में कुल 110 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जो रा0उ0मा0वि0 के एक परिसर में नहीं चल रहे हैं। भौतिक संसाधनों यथा भूमि भवन इत्यादि की अनुलब्धता के कारण एक परिसर में संचालित नहीं हो पा रही हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पेयजल योजना में स्रोत के मानक व जल संरक्षण की योजना

22–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल योजना बनाने से पहले स्रोत मानक (एल0पी0एम0) कितनी बार किया जाता है उसके क्या मानक है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्रोतों में प्रतिवर्ष एल0पी0एम0 कम होता जा रहा है, इसके क्या कारण हैं ?

क्या जल संरक्षण करने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

पेयजल योजना बनाने से पूर्व प्रस्तावित स्रोत का कम से कम एक वर्ष का न्यूनतम ग्रीष्मकालीन स्राव एक बार कराया जाना आवश्यक है। एक वर्ष में स्रोत में नापे

गये पानी का केवल 50 प्रतिशत, दो वर्षों में दोनों वर्षों का न्यूनम का 75 प्रतिशत तथा तीन वर्षों के ग्रीष्मकालीन स्रोत मापन की स्थिति में तीनों में न्यूनतम की 100 प्रतिशत मात्र को योजना हेतु उपलब्ध होने वाली पानी की मात्रा माने जाने का विभागीय मानक है। उपलब्ध ग्रीष्मकालीन न्यूनतम जल की मात्रा में से यथासम्भव 25 प्रतिशत पर्यावरणीय कारणों से फ्लोरा एवं फौना के संरक्षण हेतु छोड़कर शेष 75 प्रतिशत स्राव ही पेयजल योजना हेतु टैप किया जाता है।

स्रोतों के स्राव में कमी होने का मुख्य कारण वृक्षों का पातन, सड़क निर्माण एवं इसके लिए किये जाने वाले विस्फोट, वैजिटेशन कवर कम, वर्षा के पैटर्न में बदलाव होना, सरफेस रन–ऑफ अधिक हो जाना, ग्राउन्ड रिचार्ज कम होना आदि कारण प्रमुख है।

जी हाँ।

जल संरक्षण के लिए विभिन्न विभाग यथा पेयजल, वन, जलागम, वन एवं ग्राम्य विकास (मनरेगा) आदि विभागों के माध्यम से स्रोत सम्बर्द्धन हेतु चालखाल निर्माण, चैकडैम निर्माण, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लगाना एवं कन्टूर ट्रैंच इत्यादि कार्य कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के मानक

23–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु मानक क्या हैं ?

क्या सरकार मानकों को पुनः निर्धारण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक छात्र अनुपात निम्नवत् है :–

छात्र	अध्यापक
60 तक	02
61–90 तक	03
91–120 तक	04

150 से अधिक	5+1 प्र0अ0
200 से अधिक	छात्राध्यापक अनुपात 1:40 से अधिक न हो। (प्र0अ0 को छोड़कर)

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 केन्द्रीय अधिनियम होने के कारण।

प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों की संख्या व छात्रावासों के निर्माण की प्रगति

24—श्री महावीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कस्तूरबा गाँधी विद्यालय संचालित है ?

क्या उक्त विद्यालयों के भवनों/छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा हैं ?

यदि हाँ, तो कितने भवनों/छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

यदि नहीं, तो अपूर्ण विद्यालय भवनों/छात्रावासों का निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

प्रदेश में कुल 28 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित हैं।

जी हाँ।

10 भवनों/छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

अवशेष 18 भवनों/छात्रावासों का निमार्ण कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश में गाँवों में ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या हेतु ठोस कदम

25—श्री महावीर सिंह—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रीष्मकाल में प्रदेश में कितने गाँव पेयजल की समस्या से क्षतिगस्त हैं ?

तथा प्रदेश में खच्चरों के माध्यम से कितने ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है ?

क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

अब तक राज्य के 202 ग्राम पेयजल की समस्या से प्रभावित हुए हैं। जिनमें से नगरीय क्षेत्र के 35 मोहल्लों तथा ग्रामीण क्षेत्र में 86 बसावटों में टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है।

अब तक किसी भी गाँव में खच्चरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है।

जी हाँ।

प्रदेश के गम्भीर पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जहाँ टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जानी सम्भव नहीं है वहाँ खच्चरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्री राजेश शुक्ला–

तृतीय सोमवार के अतारांकित–23 मे स्थानान्तरित।

जनपद उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला अन्तर्गत समस्त धार्मिक व पर्यटन स्थलों का चारधाम यात्रा की व्यवस्था के आधार पर सौन्दर्यीकरण कर बेरोजगारों को रोजगार साधन उपलब्ध कराने पर विचार

27–श्री माल चन्द–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत महासू देवता मन्दिर हनोल, कर्ण देवारा शेडकुडिया, दोणी–मसरी, कपिलमुनि, गुन्दियाटगाँव, समेश्वर जखोल–कोटगाँव, महाशिव ठडियार–सराजी, पोखू नैटवाड़, रूद्रेश्वर बजलाड़ी–कंडाऊ–देवसारी–तियां, राजा रघुनाथ पुजैली–गैर बनाल, भद्रकाली हुडोली–पोंटी सिरगुल पुरोला, कालिगनाग मन्दिर सरबाडियार आदि धार्मिक एवं पर्यटन स्थानों का चारधाम यात्रा की व्यवस्था के आधार पर सौन्दर्यीकरण करायेगी ??

क्या सरकार उपरोक्त मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण कर गरीब व युवा बेरोजगारों को रोजगार का साधन उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती अमृता रावत–

यद्यपि चारधाम यात्रा व्यवस्था के आधार पर इन मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि पूर्व में मुराड़ी में दानवीर कर्णदेवता मन्दिर, कमलेश्वर महादेव, शेडकुडिया देवता मसरी, कपिलमुनि मन्दिर गुन्दियाटगाँव, महासू देवता गडियार,

रूद्रेश्वर मन्दिर बजलाड़ी तथा रूद्रेश्वर ट्रैक मार्ग, देवलसारी में रूद्रेश्वर मन्दिर, राजा रघुनाथ मन्दिर पुजेली तथा पौन्टी में भद्रकाली मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़/धारी/ओखलकांडा तथा भीमताल के न्याय पंचायत स्तर पर शीतगृहों के निर्माण हेतु नीति अथवा प्रस्ताव

28—श्री दान सिंह भण्डारी—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़/धारी/ओखलकांडा तथा भीमताल में न्याय पंचायत स्तर पर शीत गृहों के निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई नीति अथवा प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार निर्धारित योजना की बिन्दुवार सूचना सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी स्थित झड़ीपानी फाल हेतु सौन्दर्यीकरण योजना

29—श्री गणेश जोशी—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा मसूरी झड़ीपानी में वर्ष 1987 में झड़ीपानी फॉल के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विस्तारीकरण के लिए 20 एकड़ भूमि खरीदी गयी थी।

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि झड़ीपानी फॉल के सौन्दर्यीकरण के लिए कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना को पूर्ण करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

उक्त योजना हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 19 एकड़ भूमि क्रय की गयी थी।

झड़ीपानी, भट्टाफॉल एवं खनिज निगम में स्थित पर्यटन की भूमि/भवनों को पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी अन्तर्गत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा का उच्चीकरण

30–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा को उच्चीकरण करने का प्रस्ताव पूर्व में शासन को प्रेषित किया गया है ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ–साथ उक्त क्षेत्र में गरीब ग्रामीण रहते हैं, जिनके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु 20 किमी0 की परिधि में कोई भी इण्टर कालेज नहीं है ?

यदि यह सत्य है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 5 किमी0 की परिधि में इण्टर कालेज तथा 03 किमी0 की दूरी पर हाईस्कूल का प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा को उच्चीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

नियमानुसार मानक पूर्ण करने पर।

नियमानुसार मानक पूर्ण करने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत वि0ख0 रामगढ़ स्थित रा0हा0 स्कूल देवदार के उच्चीकरण पर विचार

31–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल विधान सभा क्षेत्र के रामगढ़ विकास खण्ड स्थित रा0 हाईस्कूल देवदार का उच्चीकरण इण्टरमीडिएट स्तर पर किये जाने हेतु क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के रा0इं0का0 दूनाकोट में सृजित एवं रिक्त प्रवक्ता के पद

32–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के रा0इं0का0 दूनाकोट में प्रवक्ता के कुल कितने पद सृजित हैं ?

क्या उक्त विद्यालयों में प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ के रा0इं0का0 दूनाकोट में प्रवक्ता का कोई भी पद सृजित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के जनता जूनियर हाईस्कूल भिटारकोट को मान्यता देने पर विचार

33–श्री चन्दन राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के जनता जूनियर हाईस्कूल भिटारकोट को मान्यता दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद बागेश्वर के जनता जूनियर हाईस्कूल भिटारकोट को संयुक्त निदेशक, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के पत्रांक/शिविर/06(1) 8273–80/2007–08, दिनांक 09 जनवरी, 2008 के द्वारा 'अ' श्रेणी की मान्यता प्रदान की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की नीति व बागेश्वर में प्रवक्ता, एल0टी0 जू0हा0 स्कूलों एवं प्राथ0 विद्यालयों में सृजित व रिक्त पदों का विवरण

34–श्री चन्दन राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति किये जाने की सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो बागेश्वर जनपद में प्रवक्ता, एल0टी0 जूनियर हाईस्कूलों तथा प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने पद सृजित हैं तथा कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार उक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर सरकार कब तक शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जनपद बागेश्वर में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्रवक्ता	346	199	147
एल0टी0	702	517	185
प्रधान अध्यापक (उ0प्रा0वि0)	35	31	04
सहायक अ0 (उ0प्रा0वि0)	413	409	04

प्रधान अध्यापक (प्राथमिक वि0)	462	436	26
सहायक अ0 (प्राथमिक वि0)	604	226	375

जी हाँ।

रिक्त पदों को सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत रा0इं0का0 कर्णकरायत में विद्यालय के भवन निर्माण हेतु विचार

35–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत रा0इं0का0 कर्णकरायत (लोहाघाट) में छात्रों के पठन–पाठन हेतु विद्यालय का भवन नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्तमान में राजकीय इण्टर कालेज, कर्णकरायत (लोहाघाट) में छात्रों के पठन–पाठन हेतु विद्यालय में 11 कक्षा–कक्ष उपलब्ध हैं और 5 कक्षा–कक्ष निर्माणाधीन हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत में पंतनगर कृषि अनुसंधान केन्द्र में बी0एस0सी0 की कक्षाएं प्रारम्भ करने पर विचार

36–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि लोहाघाट जनपद चम्पावत में पंतनगर कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र में बी0एस0सी0 (कृषि) की कक्षायें प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है

यदि हाँ, तो क्या शैक्षणिक सत्र 2012 में कक्षायें प्रारम्भ कर दी जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (विजय बहुगुणा)–

जी हाँ।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

शोध केन्द्रों व कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश एवं देशहित में शोध एवं प्रसार के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन केन्द्रों पर शिक्षण कार्य हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिक्यासैंण अन्तर्गत विनायक इण्टर कालेज के प्रान्तीयकरण के उपरान्त विद्यालय का कार्य प्रारम्भ

37–श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 भिक्यासैंण के अन्तर्गत विनायक इण्टर कालेज का प्रान्तीयकरण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो नियमानुसार उक्त विद्यालय में बतौर सरकारी विद्यालय कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित वाद में अधिग्रहण पर स्थगन आदेश पारित है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आररम्भ हुई)

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमांगत)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन गृहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्नकाल पहले ही चला गया है। हमने निवेदन किया था कि सदन चलाईये लेकिन प्रश्नकाल चला गया है। अगर हमें उसी समय पता होता कि आप ऐसा कर रहे हैं। आप यहाँ पर दुबारा, तिबारा आएंगे। मान्यवर, मैं तो पहले ही आपसे अर्ज कर चुका हूँ, वास्तव में यह मामला इतना गम्भीर है, यह कोई हल्का–फुल्का मामला नहीं है। एक तरफ आज सरकार बजट ला रही है, दूसरी तरह 'वैट' बढ़ रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि कर शून्य बजट ला रहे हैं, दूसरी तरह पहले ही पानी के दाम बढ़ा दिये हैं, बिजली के दाम बढ़ा दिये हैं, रोडवेज का भाड़ा बढ़ा दिया है। (शेम–शेम) मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, आपका सहयोग चाहिए। आज पूरा भारत बन्द है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) जब तक माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर नहीं चले जाते, तब तक किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय। (व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही को अपरान्ह्न 4:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 4 बजे श्री अध्यक्ष के सभापत्वि मे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे और अपनी–अपनी बात कहते हुए नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया, अपना–अपना आसन ग्रहण करें, अभी बजट पेश होना है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक'', श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मदन कौशिक एवं श्री बंशीधर भगत को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मानीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण में व्यवधान की कभी परम्परा नहीं रही है, बहुत सारे नये विधायकगण भी आये हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूँगी कि बजट में यह परम्परा मत डालिये।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा पत्रादि फाड़कर सदन में उछाले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करने हेतु सहयोग करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूँगी कि कृपया सदन को व्यवस्थित कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट भाषण प्रस्तुत किया जाना है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि कृपया अपने सदस्यों को अपने स्थान पर जाने को कहें। मेरा माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि कृपया, अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे और पत्रादि फाड़कर सदन में उछालते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष बजट को लेकर गम्भीर नहीं है, जबकि प्रतिपक्ष को बजट भाषण के प्रति गम्भीर होना चाहिये। मेरा आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है वे अपने सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण कराने का कष्ट करें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, निंशक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बजट तो आम जनता का है, इसके प्रति तो प्रतिपक्ष को गम्भीर होना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि, चूँकि अभी बजट प्रस्तुत होना है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने सदस्यों को अपने स्थान ग्रहण करने को कहें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे और पत्रादि फाड़कर सदन में उछालते रहे।)

(घोर व्यवधान मे मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि बजट में आपकी भी भागीदारी है, यह विकास का बजट है, कम से कम इस पर तो उन्हें गम्भीर होना चाहिये। इसमें विकास के लिए ही पैसा आवंटित होता है, इसलिए इस समय इसे गम्भीरता से न लिया जाना उचित नहीं है। मान्यवर, बजट के समय तो संसद में भी इस तरह की स्थिति नहीं आती है, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूँगी कि हम लोग उचित परम्परा का पालन करें। संसद में भी इस पर गम्भीरता होती है, सभी दलों के लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, ऐसा करना, एक अच्छा उदाहरण नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से, पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय निशंक जी और माननीय कौशिक जी से बार–बार अपील करूँगी कि बजट को लेकर गम्भीरता दिखायें और अपने सदस्यों को अपने स्थान पर जाने को कहें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण जोर–जोर से नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बजट भाषण प्रस्तुत करें।

वित्तीय वर्ष, 2012–13 का आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण

वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस देवभूमि के दिव्य भाल को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए हिमवन्त कवि चन्द्रकुंवर बर्त्वाल की निम्न पंक्तियों से अपना बजट सम्बोधन आपकी आज्ञा से प्रारम्भ करती हूँ :–

[हे उत्तर के श्वेतकेश चिर तरूण तपस्वी,
पृथ्वी के निर्मलतम् धन,
हे वसुधा की स्वर्ण भूमि,
हे गंगा की निर्मल लहरों के पिता हिमालय,
मेरी वाणी को प्रशस्तता और रचिता दो,

मैं आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2012–13 का बजट प्रस्तुत कर रही है।

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखण्ड राज्य की तीसरी निर्वाचित सरकार का प्रथम बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमती सोनिया गाँधी जी के प्रगतिशील नेतृत्व में विश्वास करते हुए जनता ने कांग्रेस नेतृत्व को सत्ता सौंपी है।

इस नये साल के सूरज से यह उम्मीद करें,
अब किसी घर में अंधरेा नहीं होने पाये,
दिल के गुलशन में खिलें फूल खुशी के इतने,
कि कहीं गम का बसेरा नहीं होने पाये,
अब दरखतों पर नये पत्ते नजर आने लगे,
जो दिए थे जख्म पतझड़ में वो मुस्काने लगे।

महोदय, हर वर्ष हमारे लिए कुछ अवसर और कुछ चुनौतियाँ लेकर आता है। बुद्धिमानजन चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों से रास्ते तलाशते हैं। चुनौतियाँ कई हैं, मसलन महँगाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था का संकट, औद्योगिक क्षेत्र की सुस्त रफ्तार और तेजी से बढ़ता राजकोषीय घाटा। ऐसे में जरूरी था कि राज्य के लिए एक संतुलित बजट पेश किया जाए, जो एक सर्वसमावेशी विकास की नींव को मजबूत करे। राजकोषीय स्थिति को दुरूस्त करने के साथ–साथ हमें विकास दर तथा औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए नीतिगत स्तर पर कई सुधार करने होंगे। कर नीति को ज्यादा व्यापक और पारदर्शी बनाना है। साथ ही सबसे जरूरी एक पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदेश की जनता को देना है।

महोदय, 2012–13 के बजट को राज्य में एक अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुख आर्थिक प्रबन्धन प्रणाली की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखती हूँ। चूँकि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल है, इसलिए बजट के निर्माण में मैंने पाँच बिन्दुओं को आधार तत्व माना। यह आधारतत्व निम्नलिखित हैं :–

- आजीविका सुरक्षा
- आर्थिक सुरक्षा
- ऊर्जा सुरक्षा
- वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा, तथा
- आंतरिक और बाहरी सुरक्षा

सरकार इस मूल तत्व को ध्यान में रखकर अपनी भावी योजनाओं को अमलीजामा पहनाएगी।

इस अवसर पर मैं सदन के संज्ञान में यह लाना चाहती हूँ कि यह एक संयोग ही है कि वित्तीय वर्ष 2012–13, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का एवं इस तृतीय निर्वाचित सरकार दोनों का प्रथम वर्ष है। शीघ्र ही बारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2012–13 को योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा। साथ ही यह भी विदित है कि विधान सभा चुनाव एवं तद्क्रम में नई सरकार के गठन के परिपेक्ष्य में प्रथम चार माह के लिए पारित लेखानुदान अवधि के दो माह शेष होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2012–13 का नियमित बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पर अवलोकनीय है कि विगत वर्षों में एक ओर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के बावजूद बड़ी संख्या में विभिन्न विकास कार्य यथा–सड़कें, पेयजल योजनाऐं आदि स्वीकृत हुई हैं और दूसरी ओर विभिन्न कारणों से बजट की उपलब्धता के बावजूद स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। राज्य के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित होने, पूर्ववर्ती राज्य के समय इस भू–भाग को विकास का पर्याप्त लाभ न मिल पाने, विभिन्न भौगोलिक व अन्य बाध्यताओं, सेवाऐं प्रदान करने की अपेक्षाकृत अधिक लागत, राज्य के शैशव काल में होने तथा उक्त परिस्थितियों आदि के दृष्टिगत किसी सीमित समय में यद्यपि किसी चमत्कार की आशा नहीं की जा सकती तथापि वर्ष 2012–13 की आय एवं व्यय के सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए इस बजट के माध्यम से प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित प्रकार से करने का सार्थक प्रयास प्रस्तावित है।

आर्थिक एवं राजकोषीय परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन–

वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अपेक्षाकृत रूप से सीमित हुई है। विश्व के कई देशों पर आर्थिक मन्दी का खतरा बना हुआ है, जबकि केन्द्र सरकार भी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने की चुनौती से जूझ रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार पर ''कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व'' संसाधन के सीमित स्रोत हैं। जिनका दोहन भी अभीष्ट रूप से नहीं हो है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012–13 में हमारी स्वयं के स्रोतों की आय कुल राजस्व आय से लगभग 44.49 प्रतिशत है जबकि केन्द्रीय करों से हमारे हिस्से के रूप में प्राप्त आय हमारे कुल राजस्व का लगभग 20.97 प्रतिशत

है एवं केन्द्र सरकार से योजनागत व अन्य प्रकार के अनुदान से हमारे कुल राजस्व का 34.54 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है। व्यय पक्ष में हमारे कुल व्यय का लगभग 67.86 प्रतिशत आयोजनेत्तर एवं लगभग 32.34 प्रतिशत आयोजनागत पक्ष में व्यय होता है। पेंशन एवं ब्याज भुगतान को घटाते हुए हमारे कुल राजस्व व्यय का लगभग 53.16 प्रतिशत व्यय वेतन आदि मदों में होता है जबकि 12वें वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार यह 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (अर्थात् एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार की यह बाध्यता है कि राजस्व घाटा शून्य हो एवं राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष 3.5 प्रतिशत के अन्तर्गत हो। वर्ष 2012–13 में राजकोषीय घाटा ` 3442.46 करोड़ के सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक ऋण तथा कुल ऋण दायित्व की भी सीमा निर्धारित है। साथ ही ऋण संपोषणीयता (Debt Sustainability) को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए शुद्ध ऋण सीमा ` 3433 करोड़ है जबकि वर्ष 2012–13 के अन्त तक राज्य का कुल ऋण दायित्व लगभग ` 25028 करोड़ अनुमानित है। यहाँ पर अवलोकनीय है कि वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार एफ0आर0बी0एम0 के अन्तर्गत निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के अनुरूप निष्पादन नहीं कर सकी जिससे कतिपय वित्तीय लाभों से वंचित होने का खतरा उत्पन्न होने की परिस्थिति बन गई है।

इन परिस्थितियों में जबकि हमारे स्वयं के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं और हमारा आयोजनेत्तर पक्ष का व्यय भार अपेक्षाकृत रूप से अधिक है एवं वेतन आदि कतिपय मदों में व्यय नियंत्रण की अपनी सीमाऐं हैं, हम सब पर एक ओर अपने स्वयं के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने व व्यय में कठोर नियंत्रण करने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर राज्य के विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं को गति देने की चुनौती भी है। परन्तु मुझे आशा है कि सभी मा0 सदस्यों के अनुभव एवं सक्रिय सहयोग से हम इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान कर पायेंगे। इस सम्बन्ध में सुशासन, सघन प्रवर्तन, प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों तथा राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा।

वार्षिक योजना–

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है एवं उसका योजना आयोग से अनुमोदन होना है, तथापि आयोजनागत पक्ष में वर्ष 2012–13 में ` 7048.96 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2011–12 के योजनागत व्यय पुनरीक्षित ` 5819.39 करोड़ से लगभग 21.13 प्रतिशत वृद्धि सहित ` 1229.57 करोड़ अधिक है।

मान्यवर,

हमें भी ख्वाबों की दुनिया अजीज है लेकिन,
जमीन पे रहने का ऐहसास मारे देता है।
चमन को सींचने में पत्तियाँ कुछ झड़ गयी होंगी,
यही इलजाम मुझ पर लगा रहा है बेवफाई का,
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से,
वे दावा कर रहे हैं, इस चमन की रहनुमाई का।

इस अवसर पर मैं सरकार द्वारा किये जाने वले प्रयासों एवं उठाये जाये रहे कदमों के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगी।

- कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
- पैट्रोलियम कम्पनियां द्वारा हाल में पैट्रोल के खुदरा मूल्यों में ` 7.50 प्रति लीटर की जो बढ़ोतरी की गई थी उसके सापेक्ष जनता को राहत देने के लिए इस मूल्य वृद्धि पर देय वैट की राशि 1.87 प्रति लीटर की छूट ग्राहकों को देने का निर्णय लिया गया है।
- जनसामान्य को राहत देने के उद्देश्य से दीपावली के पर्व पर बिकने वाले शक्कर से निर्मित कुलिया, खिलौने, बताशें आदि को कर मुक्त किया गया है।
- पके भेजन पर वैट की करदेयता 13.5 प्रतिशत है, लेकिन रोड़ साइड ढाबों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं रेस्टोरेन्ट/फूड प्वाइन्ट्स जिनकी वार्षिक बिक्री ` 50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है उनको सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य के लिए 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त समाधान राशि योजना की अवधि बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च, 2015 तक की गयी है।
- सभी प्रकार के छाते (उद्यान छातों को छोड़कर) को वैट से कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- वाणिज्य कर विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं व्यवसायियों के लिए सुविधाजनक बनाने और प्रान्त के अन्दर माल के आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से जाँच चौकियों को समाप्त करने हेतु वैट अधिनियम/नियमों में संशोधन प्रस्तावित है तथा प्रवर्तन का कार्य सचल ईकाईयों के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही आयात घोषणा पत्र एवं केन्द्रीय सम्व्यवहारों से सम्बन्धित फॉर्म यथा 'सी; , 'ई , 'एच' को बिना कोई फीस अदा किये डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

- वाणिज्य कर में ऐसे करदाता, जो अपना कर–दायित्व निरंतर समय पर जमा कराने की ओर प्रगतिशील हों, उनमें से पाँच करदाताओं (जो ट्रेडिंग, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल आदि से सम्बन्धित होंगे) को एक कमेटी द्वारा चयनित कराकर वर्ष में एक बार सम्मानित किया जायेगा।
- टिम्बर पर करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से टिम्बर को वैट की बहुसूत्रीय अवर्गीकृत श्रेण से हटाकर एकसूत्रीय करदर वाली वस्तुओं की श्रेणी में रखना प्रस्तावित है।
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सी0एफ0एल0 बल्ब व ट्यूब के सम्बन्ध में वर्तमान में 13.5 प्रतिशत की करदर को 405 प्रतिशत करदर श्रेणी में रखना प्रस्तावित है।
- जनसामान्य को राहत पहुँचाने एवं छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मोमबत्ती को 405 प्रतिशत कर देय श्रेणी से हटाकर कर मुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।
- किसान वर्ग की सुविधा की दृष्टि से ` 5.00 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट दी गयी है।
- देहरादून में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली प्रारम्भ किये जाने के क्रम में हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में इस प्रणाली को अपनाया जाएगा तथा सर्किल रेट स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की जानकारी प्राप्त करने हेतु ए0टी0एम0 मशीनों की भाँति मशीनें लगाई जायेंगी। साथ ही गाँववार तथा नामवार 12 वर्ष की सूची का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।
- बिना कब्जे वाले इकरारनामों पर वर्तमान में स्टाम्प शुल्क की दर प्रतिफल (Consideration) अर्थात् सौदे की धनराशि के आधी धनराशि पर 5 प्रतिशत है, जिसे घटाकर अधिकतम ` 1000 (एक हजार रुपये) किया जा रहा है।
- विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रु0 (सौ रुपये) किया जा रहा है।
- जनपद टिहरी में 2.40 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा आधारित उत्तराखण्ड राज्य की पहली विद्युत परियोजना शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी।
- रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से जल स्रोतों व स्थलों का चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- दूरस्थल प्रमुख स्थलों की सड़क दूरी कम करने के लिए अध्ययन कर योजना प्रारूप तैयार किया जायेगा।

- चारधाम यात्रा के रास्तों पर पैदल तीर्थयात्रियों, साधु–सन्तों के लिए रैन बसेरों का निर्माण किया जायेगा। इनमें पीने के पानी की व्यवस्था एवं साधारण चना–चबेना (गुड़–चना) की व्यवस्था भी की जायेगी।
- चारधाम उपासना केन्द्रों एवं रास्तों को साफ–सुथरा एवं नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए, उस क्षेत्र को धार्मिक आस्था के अनुरूप रखने के लिए बद्रीनाथ धाम हेतु जोशीमठ से आगे, केदारनाथ धाम हेतु गौरीकुण्ड से आगे गंगोत्री हेतु हर्षिल से आगे तथा यमनोत्री हेतु जानकीचट्टी से आगे बीड़ी–सिगरेट, तम्बाकू, शराब आदि मादक पदार्थों एवं पॉलीथीन पर प्रतिबन्ध रखा जायेगा।
- नगरीय क्षेत्रों में रैन बसेरों का निर्माण किया जाएगा।
- पचास प्रतिशत व अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले गाँवों में विभागों के अधीन क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं व अवस्थापना कार्यों हेतु "अल्पसंख्यक उपयोजना" के रूप में बल दिया जाएगा।
- राज्य में मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन की स्थापना की जाएगी जिसके माध्यम से गरीब अल्पसंख्यक वर्ग हेतु उच्च शिक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- मदरसों में मिड–डे मील योजना की व्यवस्था अनुमन्य है जिसको सभी मदरसों द्वारा लागू किया जाने का प्रयास किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक निदेशालय की स्थापना की जा रही है।
- राज्य में पारिस्थितिकीय पर्यटन निगम अर्थात् "ईको टूरिज्म कारपोरेशन" का गठन किया जाएगा।
- मानव–वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में त्वरित अनुग्रह राशि भुगतान हेतु निधि स्थापित की जाएगी।
- मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को सुदृढ़ आधार प्रदान करने एवं कृषि के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को रूचि उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों में मृदा परीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- पन्तनगर विश्वविद्यालय में स्थापित किए गये 90.8 फ्रीक्वेंसी बैंड के एफ0एम0 रेडियों की परिधि वर्तमान 15 किलोमीटर से भविष्य में 50 किलोमीटर क्षेत्र में की जाएगी।
- युवाओं और ग्रामीण मजदूरों को आधुनिक बागवानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। रानीखेत स्थित उद्यान को बागवानी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

- फल, सब्जी एवं पुष्प उत्पादन के विपणन की समुचित व्यवस्था के लिए 'उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद्' का गठन किया जाएगा एवं चक्रीय निधि बनाई जाएगी।
- फल पट्टी, सब्जी पट्टी एवं फूल पट्टी को विकसित करने के लिए नौजवानों को बैंकों द्वारा माइक्रो फाइनैसिंग (Micro Financing) सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा हो रहे फलों से वाहन (Fruit Wine), जूस बनाने के कार्य में आगे आने वाले बेरोजगार नौजवानों को राज्य सरकार प्रोसैसिंग एवं मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करेगी।
- दुग्ध क्रान्ति के लिए स्वयं सहायता समूहों को बैंको से ऋण दिलाने में सहयोग/सुविधा प्रदान करायी जायेगी तथा उन्हें मार्केटिंग की भी सुविधा प्रदान करायी जायेगी। विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये 'राज्य आजीविका मिशन' के रूप में बैंकों के सहयोग से पचास हजार रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास किया जायेगा।
- कोल्ड वाटर में फिशरीज (Trout) को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगार नौजवानों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उनके प्रस्तावों पर उदारतापूर्वक विचार कर सरकार उनको सुविधा प्रदान करेगी।
- अनाच्छादित जनपदों चम्पावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना लागू की जा रही है।
- सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
- लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) के माध्यम से चिकित्सा व तत्सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। देहरादून में कार्डियोलॉजी सेन्टर में शीघ्र सर्जरी सेवाऐं प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।
- कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) के आधार पर संचालित करना प्रस्तावित है।
- ऋषिकेश में स्थापित किए जा रहे एम्स संस्थान की स्थापना शीघ्र पूर्ण कराकर संचालन प्रारम्भ कराया जाएगा।

- राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा तथा विद्यार्थियों की जागरूकता के कार्य किये जायेंगे।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े 19 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल एवं बालिका छात्रावास स्थापित किये जा रहे हैं।
- कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से पी0पी0पी0 मोड में संचालित किया जाएगा।
- प्रदेश के पहले महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन शैक्षिक सत्र 2012–13 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- राजकीय पॉलिटैक्निकों को सुदृढ़ीकरण तथा छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है।
- सीमान्त एवं पिछड़े विकासखण्डों में अति आवश्यकीय अवस्थापना कार्यों के लिए ''उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि'' का गठन किया जाएगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इसका प्रत्येक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा ताकि वास्तविक लाभार्थियों को खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण व लाभ सुनिश्चित हो सके।
- ''बेरोजगारी भत्ता'' देने हेतु अध्ययन कर नियमावली निर्माण एवं तैयारी की जाएगी। नियमावली तैयार होते ही अर्हता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- खनन क्षेत्रों की सर्विलांस तथा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन सहित प्रबन्धन योजना बनाई जाएगी।
- देहरादून एवं हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। यह उत्तराखण्ड की खेल के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बनायेगा।
- उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी।
- परिवहन निगम में ऑन लाइन ई–टिकटिंग व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में राज्य की परिस्थितियों तथा राज्य में उपलब्ध संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके अनुरूप रोजगार की संभावनाओं से युक्त ट्रेडों में राज्य के युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण

प्रदान कर अपने ही परिवेश में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी 'उत्थान' योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 5000 (पाँच हजार) शहरी युवक एवं युवतियों को उक्त योजना से लाभान्वित किए जाने के लक्ष्य रखा गया है। उक्त योजनान्तर्गत चयनित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का चयन किया जायेगा। उक्त संस्थाओं द्वारा चयनित युवाओं को 3 से 6 माह का निःशुल्क उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा संस्थाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं में से 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होंगी। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास सहित समस्त व्यवहारिक एवं तकनीकी पहलुओं को समावेशित किया जाएगा, जिससे चयनित प्रशिक्षणार्थियों का वास्तवित उत्थान हो तथा उक्त युवा नवीन रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने में भी अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

- व्यय किये जाने वाले धन की उपादेयता एवं सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट का विशेष महत्व है। सरकार ऑडिट व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी एवं इस हेतु ऑडिट अधिनियम भी प्रस्तावित है।

बैंकिंग सेवाएं–

राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2011–12 के आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने राज्य में लगभग ` 28768 करोड़ का ऋण वितरित किया है जबकि राज्य के बैंकों में लगभग ` 53798 करोड़ जमा हुए हैं। राज्य में बैंकों की औसत ऋण–जमा अनुपात (C.D. ratio) 53.47 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय समावेश (Financial inclusion) हेतु 1000 से कम आबादी वाले गाँवों को भी कलस्टर बैंकिंग (Cluster Banking) सुविधा से जोड़े जाने हेतु रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण–

राज्य के विकास में वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में कुल लगभग ` 1272 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। इसके अन्तर्गत शहरी विकास कार्यों हेतु ` 270 करोड़, सड़कों के लिए ` 300 करोड़, पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के लिए ` 40 करोड़ एवं ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ` 375 करोड़ का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक से होना है। आईफैड से आजीविका सम्बन्धी कार्यों हेतु ` 63 करोड़ एवं विश्व बैंक पोषित पेयजल योजनाओं को स्वैप माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए ` 180 करोड़ का वित्त पोषण अनुमानित है।

केन्द्र सरकार से योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता–

भारत सरकार से क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों को एक बड़ी राशि सीधे स्थानान्तरित की जाती है, जो राज्य की संचित निधि में परिलक्षित नहीं होती है। इस कारण आय–व्ययक प्रस्तावों में इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा आदि ऐसी महत्वपूर्ण योजनाऐं हैं। राज्य सरकार इन महत्वपूर्ण योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करेगी। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में लगभग ` 100 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तेहरवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में लगभग ` 980 करोड़ प्रस्तावित है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) अन्तर्गत ` 400 करोड़ एवं केन्द्र पोषित बाढ़ परियोजनाओं हेतु ` 80 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2012–13 में भारत सरकार से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछड़े विकासखण्डों के लिए बी0आर0जी0एफ0 तथा सीमान्त विकासखण्डों के लिए बी0ए0डी0पी0 योजना क्रियान्वित की जा रही है। समग्र रूप से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से राज्य की संचित निधि के माध्यम से ` 5582 करोड़ अनुदान प्राप्त होना अनुमानित है।

राजकोषीए सेवाऐं–

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं प्रमुखतः उपभोक्ता प्रधान राज्य होने के दृष्टिगत राज्य के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित हैं जबकि शैशवाकाल व अन्य परिस्थितियों के परिपेक्ष में एक ओर हमें प्रदेश के विकास हेतु अभी काफी लम्बा सफर तय करना है तो दूसरी ओर लागत और समय की विषमताएँ भी हमारी चुनौतियाँ है। साथ ही यद्यपि सकल रूप से घाटे का बजट प्रस्तुत है तथापि कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है परन्तु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व घाटा शून्य एवं राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमान्तर्गत प्रस्तावित है। आर्थिक मजबूती एवं विकास को गति देने के लिए संसाधन जुटाने तथा राजस्व वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक उपाय करेगी। वर्ष 2012–13 से पासवर्ड आधार पर कम्प्यूटर एवं सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। निविदा प्रक्रियाओं को अधिक विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत ई–टैण्डरिंग माध्यम से निविदाएँ प्राप्त की जा रही है।

वाणिज्य कर–

राज्य के कुल राजस्व आय का लगभग 25 प्रतिशत एवं स्वयं के राजस्व आय का लगभग 57 प्रतिशत वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। वर्ष 2911–12 में वाणिज्य कर से ` 3642 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 2012–13 में कुल ` 4088 करोड़

प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य सरकार कराधान प्रक्रिया के सरलीकरण, कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग द्वारा व्यापारियों को आवश्यक सुविधाऐं प्रदान करने हेतु सतत् प्रयास कर रही है। साथ ही करापवंचन को रोकने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। व्यय पक्ष में वाणिज्य कर के अन्तर्गत 2012–13 के लिए ` 71 करोड़ का प्राविधान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन–

राजस्व प्राप्त की दृष्टि से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आम जनता की सुविधा के लिए 17 सर्वाधिक राजस्व देने वाले उप निबन्धक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है तथा भविष्य में कुछ और का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। देहरादून जनपद सदर कार्यालयों में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई है जबकि हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल में भी इस प्रणाली को शीघ्र अपनाया जा रहा है। देहरादून सदर के उपनिबन्धक कार्यालय में सर्किल रेट ज्ञात करने की सुविधा हेतु क्योस्क मशीन लगाई गई है जिससे सर्किल रेट सहित लगने वाले स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क की जानकारी सरलता से आम जनता स्वयं प्राप्त कर सकती है। गाँववार एवं नामवार 12 वर्ष की सूची का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 में स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन से ` 574 करोड़ का राजस्व अनुमानित है जबकि व्यय पक्ष में ` 27 करोड़ का प्राविधान है।

आबकारी–

राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत्रों में आबकारी से राजस्व का योगदान कम नहीं है। मदिरा व्यवसाय हेतु पूर्व निर्धारित नीति के अधीन दुकानों के व्यवस्थापन सहित विनियमन, नियंत्रण और प्रवर्तन कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में आबकारी से ` 942 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य सहित व्यय पक्ष में ` 9 करोड़ का प्राविधान है।

परिवहन–

सड़क परिवहन का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि मैदानी क्षेत्र स्थित कुछ स्थल रेल सुविधान से भी जुड़े हैं तथापि सड़क परिवहन की पर्वतीय क्षेत्र में यातायात का मुख्य साधन है। सरकार परिवहन क्षेत्र में सुधार तथा परिवहन सुविधाओं व सेवाओं के विकास हेतु प्रयासरत है। राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से भी सड़क परिवहन का अपना विशिष्ट स्थान है। परिवहन निगम में ऑन लाइन ई–टिकटिंग तथा कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रस्तावित है। राज्य में रेल नेटवर्क बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2012–13 में परिवहन सम्बन्धी कर्यो हेतु ` 65 करोड़ का प्राविधान है जबकि ` 275 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित है।

नागरिक उड्डयन–

राज्य में विमानन सेवाओं के विस्तार की गति विभिन्न समस्याओं के कारण अत्यन्त धीमी रही है। जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे से नियमित उड़ानों के साथ अब नाइट लैण्डिंग की सुविधा स्थापित हो गई है। पन्तनगर हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य अन्तिम चरण में है और यहाँ के लिए हवाई यात्राऐं प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है। नैनी–सैनी हवाई अड्डे पिथौरागढ़ के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। गौचर एवं चिन्यालीसौड हवाई पटि्टयों को भी क्रियाशील करने का प्रयास किया जा रहा है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा–

राज्य के विकास को गति देने के लिए वहन योग्य दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक ओर विद्युत की मांग तथा उत्पादन एवं उपलब्धता के अन्तर को कम करने तो दूसरी ओर विद्युत वितरण तन्त्र को कुशल व दक्ष बनाने और न्यूनतम अनुमन्य हानि स्तर को प्राप्त करने की कठिन चुनौती है। इन चुनौतियों का निराकरण सभी सम्मानित सदस्यों तथा आम जनता के सहयोग के बिना सम्भव नही होगा। मेरा मानना है कि विद्युत क्षेत्र पर तत्काल विशेष ध्यान केन्द्रित करना अति आवश्यक है। मान्यवर मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस उपभोक्ता प्रधान एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त पर्वतीय भूभाग के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन, आर्थिक विकास दर और रोजगार में पर्याप्त अवसर बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर प्रदेश की ऊर्जा सम्बन्धी उपरोक्त आवश्यकताओं को समयबद्ध रूप से पूरा कर सकेंगे। साथ ही उपभोक्ता जागरूकता तथा सुविधा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना है। उल्लेखनीय है कि राज्य की विद्युत वितरण संस्था अर्थात् उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन निगम का संचित घाटा लगभग ` 2750 करोड़ है। इसके अतिरिक्त इस निगम की विभिन्न उपभोक्ताओं से विलम्ब भुगतान अधिभार सहित लगभग ` 2000 करोड़ धनराशि की लेनदारी लम्बित है और इस संस्था पर उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम से क्रय की गई विद्युत सहित लगभग ` 1447 करोड़ की देनदारी लम्बित है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। विद्युत वितरण व्यवसाय के खराब वित्तीय स्वास्थ्य से विद्युत उत्पादन के लिए जिम्मेदार पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के वित्तीय स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। साथ ही राज्य को भी अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके क्रम में विकास व कल्याणकारी कार्यो हेतु सरकार को वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। विद्युत हानि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर न केवल शत् प्रतिशत मीटर लगे बल्कि स्थापित मीटर कार्यशील भी रहे। यदि हमें भविष्य में वहन योग्य दरों पर विद्युत की सुचारू उपलब्धता का सपना पूर्ण करना है तो आम जनता एवं सभी को हानियाँ कम करने, चोरी रोकने एवं शत् प्रतिशत मीटरिंग में सहयोग करना होगा।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार का प्रयास करेगी जिस हेतु आवश्यकतानुसार समुचित वैकल्पिक उपायों पर भी विचार किया जाना होगा।

सरकार निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण कराने एवं विद्युत उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि करने के सभी सम्भव प्रयास करेगी। विद्युत वितरण तन्त्र में सभी स्तर की पूर्ण मीटरिंग सहित इनर्जी ऑडिट को शीर्ष वरीयता देते हुए विद्युत हानियाँ न्यूनतम अनुमन्य स्तर तक लाने और चोरी रोकने के उपाय करेगी। 400 के0वी0 श्रीनगर तथा 132 के0वी0 सितारंगज विद्युत उप संस्थान सहित अन्य विद्युत पारेषण परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत निकासी एवं उपभोक्ताओं तक विद्युत की पहुँच हेतु पारेषण तन्त्र एवं वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जायेगा।

मान्यवर प्रदेश के दूरस्थ स्थित दुर्गम व अतिदुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय जनता द्वारा संचालित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसी कड़ी में 1240 किलोवाट क्षमता की 8 लघु जल विद्युत परियोजनाऐं निर्माणाधीन हैं। यह परियोजनाऐं न केवल विद्युत की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि इनके संचालन व रख–रखाव के माध्यम से स्थानीय आम जनता की क्षमता वृद्धि व जागरूकता को भी बढ़ावा मिल रहा है। घराट सुधारीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता द्वारा आधुनिक घराटों की स्थापना से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसे लघु जल विद्युत उत्पादन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा बायो ऊर्जा के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन तथा उपलब्धता को बढ़ावा दिया जायेगा। जनपद टिहरी में 2.40 मेगावाट क्षमता वाली उत्तराखण्ड राज्य की पहली पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

विद्युत उत्पादन तथा उपभोग के साथ–साथ ऊर्जा संरक्षण का भी अत्यधिक महत्व है और यह आज की आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण से कम लागत में ऊर्जा उपलब्धता तथा अपनी आवश्यकताऐं पूर्ण करना सम्भव है। इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है एवं सभी से अपेक्षा है कि ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बना कर जीवन का अंग बनाया जाय। अन्तर विभागीय सामंजस्य से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

वर्ष 2012–13 में ऊर्जा क्षेत्र हेतु ` 599 करोड़ एवं वैकल्पिक ऊर्जा हेतु ` 12.60 करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण–

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में कृषि और कृषि उत्पादन में सिचांई का महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ एक ओर कृषि उत्पादन के लिए वर्तमान सिंचाई व्यवस्थाओं

की उचित देखरेख तथा मरम्मत आवश्यक है वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन और जल का अधिकतम लाभ लेने के लिए नई तकनीकी के उपयोग सहित सिंचाई प्रणाली में जल की हानि को न्यूनतम करना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्यों से कृषि भूमि तथा आबादी की सुरक्षा क्रियाकलाप भी आवश्यक हैं। अधिक कृषि उपज के लिए भरपूर सिंचाई सुविधा के प्रयास किये जा रहे हैं। कच्ची गूलों को पक्का करना, गूलों का निर्माण तथा नलकूप, हौज आदि सिंचाई साधनों का निर्माण प्रस्तावित है। सिंचाई के आधुनिक साधनों को विकसित करने हेतु प्रयास किया जाएगा। जमरानी बाँध परियोजना पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। सिंचाई तथा बाढ़ सुरक्षा की केन्द्र पोषित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लिया जायेगा।

वर्ष 2012–13 में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ` 1056 करोड़ का प्राविधान है।

पेयजल–

राज्य सरकार नगरों, राजस्व ग्रामों, उप ग्रामों तथा बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। जल स्रोत विहीन क्षेत्रों में जल संरक्षण व संवर्द्धन की व्यवस्था सहित वर्षा जल दोहन व संरक्षण के प्रयास किये जायेंगे। पेयजल की गुणवत्ता सहित "सम्पूर्ण स्वच्छता" पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पेयजल तथा जलोत्सारण हेतु केन्द्र पोषित व वाह्य सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया जायेगा। रिमोट सेन्सिंग माध्यम से जल स्रोत्रों एवं स्थलों का चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

वर्ष 2012–13 में पेयजल, जलोत्सारण तथा स्वच्छता कार्यों हेतु ` 429 करोड़ का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतु–

राज्य सरकार प्रदेश में सड़क सुविधाओं के समुचित विकास के लिए विभिन्न नगरों, तीर्थस्थलों, पर्यटक स्थलों के साथ–साथ दूरस्थ ग्रामों, कृषि उत्पादक और पर्यटक क्षेत्रों आदि को सड़क संयोजकता की सुविधा प्रदान करने हेतु सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण सहित निर्मित मार्गों के रख–रखाव, सुधार एवं उच्चीकरण के लिए सतत् प्रयासरत् है। देहरादून में यातायात घनत्व बढ़ने की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से रिंग रोड़ बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषण के तृतीय चरण की बाह्य सहायतित योजनान्तर्गत मोटर मार्गों का सुधार कार्य प्रस्तावित है। गाँवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के कार्य में गति लाई जायेगी। निर्मित हो चुकी नई कच्ची सड़कों के डामरीकरण पर बल दिया जायेगा तथा निर्मित हो चुकी सड़कों को यातायात हेतु शीघ्रता से अनुमति देने का

प्रयास किया जायेगा। पर्वतीय तथा सीमा के निकटवर्ती प्रमुख स्थलों से सम्बन्धित मार्गों को पूरे वर्ष यातायात हेतु सुलभ कराने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही ऐसे दूरस्थ प्रमुख स्थलों की सड़क दूरी कम करने के लिए अध्ययन कर योजना प्रारूप तैयार की जायेगी ताकि आवागमन हेतु लगने वाले समय में पर्याप्त कमी के साथ–साथ खर्च तथा परेशानी को न्यून किया जा सके। इससे एक ओर आर्थिक गतिविधियों, पर्यटक आदि को गति मिलेगी तो दूसरी ओर पलायन की समस्या पर भी नियंत्रण के साथ–साथ ईंधन की खपत कम होने से ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में भी सहयोग मिलेगा। सामरिक दृष्टि से भी कम दूरी के मार्गों में वर्ष भर तथा चौबीस घण्टे यातायात हेतु सड़क संयोजकता उपलब्ध हो सकेगी।

सड़कों एवं पुलों सहित विभिन्न लोक निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2012–13 में ` 1277 करोड़ का प्राविधान है।

औद्योगिक विकास–

विगत वर्षों में राज्य की उच्च आर्थिक विकास दर में औद्योगिक विकास की प्रमुख भूमिका रही है तथा रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए एकल खिड़की सम्पर्क एवं सूचना व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी का उपभोग कर सुदृढ़ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के क्लस्टर विकास हेतु प्रयास किये जायेंगे। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार तथा उद्यम स्थापना हेतु प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही, कौशल विकास के द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर एवं क्षमता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा हैं। हथकरघा समूहों के माध्यम से सामूहिक सुविधा केन्द्र, डिजाइन सुधार, प्रशिक्षण आदि सुविधाऐं प्रदान की जा रही है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जा रही है।

वर्ष 2012–13 में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के लिए ` 52 करोड़ का प्रस्ताव है।

आवास एवं शहरी विकास–

राज्य के शहरी एवं आसपास के क्षेत्रों में आबादी काफी तेज गति से बढ़ रही है। इन क्षेत्रों के समुचित नियोजन एवं नियंत्रित विकास के लिए राज्य में कार्यरत विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा नियत प्राधिकारियों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उच्चीकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में राज्य की परिस्थितियों तथा राज्य में उपलब्ध सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसके अनुरूप रोजगार की सम्भावनाओं से

युक्त ट्रेडों में राज्य के युवक–युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर अपने ही परिवेश में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'उत्थान' योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अधीन 2012–13 में 5000 शहरी युवक–युवतियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। तेरहवें वित्त आयोग सहित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के वित्त पोषण से विभिन्न योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं। मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु आवासीय व्यवस्था करने और मलिन बस्तियों के स्थान पर बेहतर सुख सुविधाओं युक्त आवासों की व्यवस्था करने के लिए ''राजीव गाँधी योजना'' व अन्य योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं। शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid Waste Management) तथा सीवरेज व्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में रैन बसेरों का निर्माण कराया जाएगा।

वर्ष 2012–13 में शहरी विकास तथा आवास विभाग हेतु ` 676 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण–

अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्संख्यक वर्ग सहित निराश्रित एवं निःशक्तजन समाज के अभिन्न अंग हैं। इनके कल्याण हेतु सरकार विभिन्न क्रियाकलापों एवं योजनाओं के माध्यम से कार्यवही कर रही है। आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे पदों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है जिससे समाज के उपेक्षित वर्गों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। छात्र–छात्राओं को छात्रवृद्धि, आश्रम पद्धति स्कूलों के संचालन, छात्रावास सुविधाऐं, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग, आवासीय सुविधा आदि कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। बी0पी0एल0 परिवारों की इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को गौरा देवी कन्या धन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। निराश्रित विधवाओं तथा वृद्धजनों को भी मासिक पेंशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान सहित वृद्ध व अशक्त व्यक्तियों हेतु आश्रम व भिक्षुक गृहों की व्यवस्था भी की जा रही है। सरकार अल्संख्यकों के कल्याण हेतु समुचित प्रयास कर रही है। राज्य में मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेन्स फाउन्डेशन की स्थापना की जाएगी जिसके माध्यम से गरीब अल्पसंख्यक वर्ग हेतु उच्च शिक्षा आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक निदेशालय की स्थापना की जा रही है जसके माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण की सभी योजनाओं को गति दी जाएगी।

समाज कल्याण योजनाओं सामाजिक हेतु वर्ष 2012–13 में लगभग ` 1000 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण–

देश की सेवा में उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों का परम्परागत रूप से विशिष्ट योगदान है। सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिकों के रूप में राज्य की इस अनुशासित मानव शक्ति का हमारे समाज व प्रदेश के विकास में विशेष महत्व है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं तथा परिवारजनों के लिए विभिन्न क्रियाकलाप चला रही है। पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

सैनिक कल्याण हेतु वर्ष 2012–13 में ` 32.50 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास–

उत्तराखण्ड में महिला साक्षरता दर पुरूषों में 88.33 प्रतिशत के सापेक्ष मात्र 70.70 प्रतिशत है। यहाँ की 25.7 प्रतिशत महिलाओं का बॉडी मास इन्डेक्स सामान्य से कम है तथा संस्थागत प्रसव दर 36 प्रतिशत है। राज्य में शिशु मृत्यु दर 48 है जिसके सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 52 तथा नगरीय क्षेत्र में 25 है। तीन वर्ष के आयुवर्ग के 38 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। लिंग अनुपात में सुधार सहित उक्त एवं अन्य मामलों में उत्तराखण्ड राज्य को अभी काफी कार्य करना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने, किशोरी शक्ति, सबला तथा महिला समेकित विकास योजना आदि के अन्तर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और साक्षरता के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही माताओं व बच्चों के कुपोषण की समस्या को दूर करने, लिंग अनुपात में सुधार करने आदि विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे है तथा तदानुसार वर्ष 2017 तथा इन क्रियाकलापों के सापेक्ष प्रगति के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

वर्ष 2012–13 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु ` 425 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

जलागम–

प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित उपयोग व प्रबन्धन तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को जनोपयोगी बनाने और विकास को संपोषणीय गति देने के लिए जलागम प्रबन्धन आधारित विकास का विशेष महत्व है। जलागम प्रबन्ध योजनाऐं ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता से चलाई जा रही हैं जिस कारण ग्रामीणों तथा ग्रामीण संस्थाओं की क्षमता एवं कौशल विकास का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही उत्पादकता वृद्धि आदि से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास से भी मदद हो रही है। विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के प्रथम चरण के क्रम में वर्ष 2012–13 से द्वितीय चरण का निरूपण एवं कार्यान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। ग्लोबल इन्वायरनमेन्ट फेसिलिटी ट्रस्ट फन्ड अर्थात् जी0ई0एफ0 से वित्त पोषित जलागम विकास के कार्य जून, 2013 में पूर्ण होंगे जबकि इन्टरनेशनल फन्ड फार एग्रीकल्वर डेवलपमेन्ट अर्थात आईफैड वित्त पोषित आजीविका द्वितीय चरण की योजना भी संचालित की जा रही है।

वर्ष 2012–13 में जलागम सम्बन्धी कार्यों के लिए ` 50 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण–

मान्यवर, हमारा यह स्पष्ट मत है कि मानव सहित प्राणियों की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए वनों की रक्षा, विकास एवं संवर्धन आवश्यक है। आज जलावायु परिवर्तन एवं इसके खतरों के प्रति जागरूक होने और इस सम्बन्ध में लघु, मध्यम तथा दीर्घाकालिक उपाय करना हम सभी की जिम्मेदारी है। पारिस्थितिकीय दृष्टि से इस हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हमारा प्रदेश अति संवेदनशील है। ''कैम्पा'' सहित विभिन्न योजनाओं व क्रियाकलापों के माध्यम से वनों के विकास व संवर्धन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सरकार प्रयासरत् है। उत्तराखण्ड की वन पंचायतों के रूप में अनूठी व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं की इस प्रयास में भागीदारी प्राप्त की जा रही है। वन, वन्य जीव तथा पर्यावरण की विशिष्ट एवं अमूल्य धरोहर तथा राज्य की जैव विविधता व सौन्दर्य आदि के रूप में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण व संवर्धन करने के साथ इसके प्रति जागरूकता व जिम्मेदारी और साथ ही राज्य के इस संसाधन का उपयोग रोजगार व आर्थिकी से जोड़ने के लिए सरकार पारिस्थितिकीय पर्यटन निगम अर्थात् ''ईको टूरिज्म कारपोरेशन'' का गठन करेगी। अन्तर विभागीय सामंजस्य से पर्यावरण संरक्षण एवं जलावायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाएगा। मानव–वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में त्वरित अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु निधि की स्थापना की जाएगी। ग्रीन इण्डिया मिशन योजनान्तर्गत बेस लाइन सर्वे कर दस वर्षीय योजना बनाई जाएगी।

कैम्पा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों और उस हेतु उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 2012–13 के लिए वन एवं पर्यावरण हेतु ` 384 करोड़ का प्राविधान है।

कृषि–

वर्तमान में हमारे प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर 17 लाख 28 हजार मीट्रिक टन है तथा दलहन व तिलहन की भारी कमी है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में पर्वतीय एवं मैदानी क्षत्रों के अनुरूप कृषि विकास के लिए रणनीति निर्धारित की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 5.33 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि मृदा एवं जल संरक्षण के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इस क्षेत्र में जैविक खेती के साथ–साथ कृषि विविधिकरण पर बल दिया जायेगा और जल के समुचित प्रबन्धन तथा उसका सिंचाई हेतु उपयोग के लिए प्रयास किया जायेगा। श्रम एवं लागत में कमी के लिए ''पावर टिलर'' व ''पावर वीडर'' जैसे हल्के कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय फसल प्रजातियों के उन्नत बीजों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कार्यवाही सहित

पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी के विस्तार हेतु व्यवस्था की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य संरक्षण को सुदृढ़ आधार प्रदान करने एवं कृषि के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में रूचि उत्पन्न करने के लिए मृदा परीक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने सहित कृषि की नवीनतम जानकारियों और वैज्ञानिक ढंग से खेती सम्बन्धित प्रसार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कृषि विकास में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा है। इक्रीसेट के सहयोग से अरहर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। पन्तनगर विश्वविद्यालय में स्थापित किये गये 90.8 फ्रीक्वेंसी बैंड के एफ0एम0 रेडियों की परिधि वर्तमान में 15 कि0मी0 से 50 कि0मी0 क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

कृषि के लिए वर्ष 2012–13 में ` 384 करोड़ का प्राविधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग–

सरकार गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग की चुनौतियों एवं समस्याओं के सम्बन्ध में परीक्षण कर इनके निराकरण हेतु समुचित उपाय करने का प्रयास करेगी। सरकार तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। इस सम्बन्ध में स्थिति का आंकलन करते हुए व्यवहारिक समाधान तलाश कर सम्यक् कार्यवाही हेतु विचार किया जायेगा।

गन्ना तथा चीनी उद्योग सम्बन्धी कार्यों हेतु वर्ष 2012–13 में ` 12 करोड़ का प्राविधान है।

औद्यानिकी–

प्रकृति ने हमें फल, फूल, सब्जी एवं जड़ी–बूटी के रूप में अनुपम उत्पाद उपलब्ध कराये हैं। हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति तथा जलवायु प्रकृति की इस सौगात को प्रदान करने में सहयोगी है। औद्यानिकी विकास कार्य पर्यावरण के अनुकूल भी है। फलों, सब्जियों, फूलों, जड़ी–बूटी, रेशम तथा चाय उत्पादन को बढ़ावा देने से व इसमें आधुनिक तकनीकी व वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने से एक ओर आम जनता के लिए (विशेषकर पर्वतीय भू–भाग में) रोजगार सृजन व आय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, तो दूसरी ओर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि सहित जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने में भी सहयोग होगा। अतः राज्य सरकार औद्यानिकी विकास के लिए प्रयास करेगी। इस उद्देश्य से फल, पुष्प, सब्जी, जड़ी–बूटी आदि उत्पादन के क्षेत्रों में किसानों, युवाओं और ग्रामीण मजदूरों को आधुनिक बागवानी प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं बागवानी प्रसार कार्यों हेतु समुचित प्रयास किया जायेगा। रानीखेत स्थित उद्यान को बागवानी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। फल प्रसंस्करण ईकाइयों सहित औद्यानिकी आधारित उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया जायेगा। वर्तमान में राज्य

में औद्यानिक उत्पादों के विपणन हेतु कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। जिस कारण फल, सब्जी एवं पुष्प उत्पादन की काफी मात्रा बर्बाद भी हो जाती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तरीय 'उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद्' का गठन किया जाएगा ताकि फल एवं सब्जी उत्पादन का प्रभावपूर्ण विपणन व्यवस्था की जा सके तथा फल उत्पादकों व किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस पहल के लिए ` 5 करोड़ की चक्रीय निधि भी गठित की जाएगी।

वर्ष 2012—13 में औद्यानिकी गतिविधियों के लिए ` 101 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन—

पशुपालन एवं डेयरी हमारी आर्थिकी तथा आजीविका के महत्वपूर्ण घटक हैं। पशुपालन व दुग्ध विकास हेतु पशु नस्ल सुधार, पशुओं की चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण आदि अनेक क्रियाकलाप किये जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारा बैंकों की स्थापना तथा पौष्टिक आहार वितरण कराया जा रहा है। स्वरोजगार हेतु कुक्कुट पालन आदि कार्यक्रम उपयोगी हैं। पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध के विपणन को सुनिश्चित करने हेतु दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को अभी आवश्यकतानुसार दो अथवा चार दुधारू पशुओं हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी व्यवस्थान्तर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों के लिए चार की संख्या तथा दुधारू पशु की खरीद पर ऋण व अनुदान की राशि बढ़ाने तथा दुग्ध समितियों को गठित करते हुए इसमें महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी। दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्रों में आवश्यकता अनुरूप दूध भंडारण के लिए चिलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। मत्स्य पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत तालाबों को बहुतवर्षीय पट्टे पर देने, तालाबों का निर्माण कर मछली पालन हेतु ऋण एवं अनुदान आदि क्रियाकलाप किये जा रहे हैं। हैचरियाँ व मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादित कर मत्स्य पालन हेतु वितरित करने के साथ—साथ मत्स्य संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु जलक्षेत्रों में संचित किया जा रहा है।

वर्ष 2012—13 में पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु ` 131 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता—

सीमित साधनों व संसाधनों से ईष्टतम उत्पादन तथा लाभ लेने के लिए सहकारिता सिद्धान्त और पद्धति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तर की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्धता तथा कृषि निवेशों व उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण तथा आपूर्ति सहित विपणन एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न अधिप्राप्ति की कार्यवाही की जा रही है। समस्त जिला सहकारी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। अनाच्छादित

जनपदों चम्पावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना लागू करने की कार्यवाही प्रगति में है। सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए ''वैद्यनाथ कमेटी'' की सिफारिशों को लागू किया जायेगा। केन्द्र सरकार के सहयोग से विकासखण्ड स्तर पर उर्वरक, बीज एवं अन्न भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण कराने एवं इनका संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से कराने हेतु विचार किया जायेगा।

सहकारिता के लिए वर्ष 2012–13 में ` 63 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष–

राज्य सरकार बाहरवीं पंचवर्षी योजनाकाल के अन्त तक मातृ–शिशु मृत्यु दर सहित अन्य स्वास्थ्य मानकों के लिए सुस्पष्ट लक्ष्य एवं उद्‌देश्य निर्धारित करते हुए आम जनता को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं उपलब्ध करायेगी। आम नागरिकों को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करायी जा रही हैं। वर्तमान में चिकित्सको की कमी के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कतिपय बाधाऐं हैं परन्तु वैकल्पिक रूप में सचल चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के प्रयास सहित लोक निजी सहभागिता (पी0पी0 मोड) माध्यम से चिकित्सा व तत्सम्बन्धी सेवाऐं उपलब्ध कराने की पहल को बढ़ावा दिया जायेगा। देहरादून के कार्डियोलॉजी सेन्टर में शीघ्र सर्जरी सेवाऐं प्रारम्भ करने के प्रयास हैं। कोटद्वार एवं पिथौरागढ़ में डाइगनोस्टिक सेन्टर की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लोक निजी सहभागिता (PPP) के आधार पर संचालित करना प्रस्तावित है। साथ ही टेली मेडिसिन सहित घर बैठे चिकित्सा परामर्श की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। वैकल्पिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में आयुर्वेद तथा होम्योपैथी पद्धति पर ध्यान दिया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग हेतु ` 770 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा शिक्षा–

राज्य में चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं युवाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के सुचारू संचालन सहित नये कॉलेजों की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत पाँच नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को गति दी जाएगी। ऋषिकेश में स्थापित किये जा रहे एम्स संस्थान की स्थापना को शीघ्र पूर्ण कराकर संचालन प्रारम्भ कराया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2012–13 में ` 325 करोड़ का प्राविधान है।

विद्यालयी शिक्षा–

उत्तराखण्ड की साक्षरता दर 79.63 प्रतिशत है। इसमें वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 99 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर 73.88 प्रतिशत है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से नामांकन दर में और सुधार लाया जायेगा। राज्य सरकार 5 से 14 वर्ष के बच्चों का विद्यालय में शत् प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु उपाय और प्रयास करेगी।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधीन सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर देने के लिए समुचित प्रयास किये जायेंगे। प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए इस हेतु प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। शैक्षिक रूप से पिछड़े 19 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल एवं बालिका छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव है। आवासीय विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य के आठ राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों सहित अन्य आवासीय विद्यालयों को सोसाइटी मोड में संचालित करने का विवार है। आवासीय विद्यालयों को लोक जन सहभागिता आधार पर संचालित करने का भी विचार है। कतिपय प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से पी0पी0पी0 मोड में संचालित किया जायेगा।

वर्ष 2012–13 में विद्यालयी शिक्षा हेतु ` 3904 करोड़ का प्राविधान है जो कुल अनुमानित व्यय का लगभग 17.80 प्रतिशत है।

उच्च शिक्षा–

मानव समाज के चहुमुखी विकास की दृष्टि से तथा युवकों को रोजगार से जोड़ने में उच्च शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पारम्परिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों सहित मुक्त शिक्षा की सुलभ एवं बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर एडुसैट के माध्यम से शिक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2012–13 में ` 227 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण–

राज्य की युवा पीढ़ी को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने एवं कौशल विकास हेतु तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित उद्योगों एवं देश की माँग के अनुरूप कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए राज्य के पॉलिटैक्निक व आई0टी0आई0 संस्थाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन शैक्षिक सत्र 2012–13 में प्रारम्भ

किया जाना प्रस्तावित है। सीमान्त इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ के भवन निर्माण तथा सुचारू संचालन के भी प्रयास किये जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार संचालन के भी प्रयास किये जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी, द्वाराहाट एव पंतनगर में कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है जिसके अधीन कॉलेज के सुदृढ़ीकरण एवं अध्ययन प्रणाली में सुधार किया जाना प्रस्तावित है। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा परिषद् का स्तरोन्नयन किया जायेगा। राजकीय पॉलिटैक्निकों का सुदृढ़ीकरण तथा छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में ` 182 करोड़ का प्राविधान है।

संस्कृति–

किसी राज्य या देश की पहचान उसकी ऐतिहासिक पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से होती है। इस दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य की अपनी विशिष्ट पहचान है। सरकार इन ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयासरत है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोकनृत्य, लोककला आदि के लिए कार्य करते हुए उनके प्रचार–प्रसार के प्रयास किये जा रहे हैं। पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण, सर्वेक्षण व अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों व दुलर्भ पाण्डुलिपियों को संग्रहीत कर उनका संरक्षण आदि कार्य किये जा रहे हैं। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं सभागार की स्थापना की जायेगी। लोकगाथा, लोक रंगमंच, लोक नृत्यों, लोक गीतों का हिन्दी व अंग्रेजी में कोरियोग्राफी कर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के बुधाणी स्थित पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने के प्रयास किये जायेंगे।

संस्कृति विभाग हेतु वर्ष 2012–13 में ` 22 करोड़ का प्राविधान है।

खेल एवं युवा कल्याण–

खेलों का हमारे जीवन तथा समाज में विशेष योगदान तथा स्थान है। सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। जनपदों में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर तथा प्रतियोगिताऐं संचालित कर प्रदेश के बालक/बालिकाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशी टीम के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट और इन प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिये जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने और इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले राज्य के खिलाडियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से युवाओं

को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। युवाओं का समाज में विशेष योगदान देखते हुए युवा शक्ति को समाज व देश के लिए उपयोगी देखते हुए युवा शक्ति को समाज व देश के लिए उपयोगी बनाने हेतु विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं।

खेल एवं युवा कल्याण हेतु वर्ष 2012–13 में ` 55 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क–

राज्य सरकार की गतिविधियों, नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग विभिन्न संचार माध्यमों से कार्य कर रहा है। इन संचार माध्यमों एवं पत्रकारों की इस व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है तथा उनका विशिष्ट योगदान है। सरकार मीडिया तथा पत्रकारों के हितों के प्रति जागरूकता है। पत्रकारों के कल्याण व सुविधा हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न मीडिया के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से भी सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में ` 41 करोड़ का प्राविधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा–

शान्ति व्यवस्था एवं आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य का एक बड़ा भाग शान्त है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमा तथा मैदानी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत रूप से शान्ति व्यवस्था व आन्तरिक सुरक्षा सहित आपराधिक गतिविधियों की कतिपय समस्याऐं हैं। अपराधों पर नियंत्रण एवं उनकी विवेचना, शान्ति व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा आदि जिम्मेदारी उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा निभायी जा रही है। साथ ही एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अपराधों के नियंत्रण तथा अपराधों की विवेचना का दायित्व राजस्व पुलिस निभा रही है। इस कार्य में जनता की महत्वपूर्ण सहभागिता भी प्राप्त हो रही है। हमें हर्ष है कि नरेन्द्र नगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय अर्थात् पी0टी0सी0 में विगत वर्ष प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सरकार पुलिस प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। पुलिस बल आधुनिकीकरण के साथ–साथ पुलिस के मनोबल में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। अपराधों की विवेचना हेतु प्रयोगशाला एवं मोबाइल फोरेन्सिक साइंस यूनिट को क्रियाशील व सुदृढ़ किया जा रहा है। आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु अभियोजन विभाग को सशक्त किया जा रहा है। शान्ति तथा कानून व्यवस्था आदि कार्य में होमगार्ड, स्वयं सेवकों एवं नागरिकों सुरक्षा संगठन का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। जिन जनपदों में जिला कारागार स्थापित नहीं है उनमें कारागारों की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही बन्दीगृहों को सुधार गृहों के रूप में भी उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं। बन्दियों को दिये जाने

वाले पारिश्रमिक में वृद्धि की जा रही है और उनको साक्षर बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। केन्द्रीय कारागार सितारगंज में बन्दी रक्षकों के पदों का सृजन किया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 में पुलिस विभाग हेतु ` 746 करोड़, होमगार्ड विभाग हेतु ` 32 करोड़ एवं कारागार विभाग हेतु ` 29 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्व–

राज्य में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे व्यापक करने एवं भूमि अभिलेख सम्बन्धी जन सेवाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि प्रबन्धन को सुनियोजित करने पर विचार किया जा रहा है। जनसहभागिता से स्वैच्छिक चकबन्दी एवं पर्वतीय क्षेत्र में पलायन (माइग्रेशन) के कारण बंजर हो रही कृषि भूमि के सदुपयोग हेतु भी प्रयत्न किया जाना है। निर्माणाधीन भवनों को शीघ्र पूर्ण करने की व्यवस्था की जा रही है।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में ` 2130 करोड़ का प्राविधान है।

आपदा प्रबन्धन–

प्राकृतिक आपदाओं के उपरान्त त्वरित आधार पर राहत कार्य के साथ–साथ इन आपदाओं के सम्बन्ध में पूर्व तैयारी, जागरूकता, जानकारी, प्रशिक्षण एवं न्यूनीकरण उपायों का अत्यन्त महत्व हैं सरकार इस हेतु प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा तथा विद्यार्थियों की जागरूकता का कार्य किये जायेंगे।

वर्ष 2012–13 में आपदा प्रबन्धन के लिए ` 175 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायतीराज–

पंचायतों को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सुदृढ़ बनाने के लिए सतत् प्रयास किया जायेगा। वर्तमान में पंचायतें, विशेष रूप से ग्राम पंचायतें एवं क्षेत्र पंचायतें केवल लघु निर्माण की कार्यदायी संस्था मात्र बन कर रह गई है तथा इनमें क्षमता विकास करने की भी अत्यन्त आवश्यकता है। इन दो स्तरों की पंचायतों में लेखा रख–रखाव की भी सुचारू एवं सुदृढ़ व्यवस्था शीघ्र स्थापित की जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी। राज्य का प्रथम पंचायतीराज अधिनियम यथाशीघ्र पारित कराया जायेगा। पंचायतीराज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

वर्ष 2012–13 में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत लगभग ` 68 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास–

प्रदेश के समग्र विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को हो रहे पलायन को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का प्रत्येक दृष्टि से विकास करना आवश्यक है। इस हेतु अन्य विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना आदि विभिन्न कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास, गरीब उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम से आच्छादित जनपदों में सामुदायिक विकास–सह–विपणन केन्द्र एवं ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पाँच जनपदों के 09 विकासखण्डों में रोजगार सृजन एवं अवस्थापना सुविधाओं के कार्य किये जायेंगे। सीमान्त तथा पिछड़े विकासखण्डों में केन्द्रीय वित्त पोषण के अतिरिक्त अति आवश्यक अवस्थपना कार्यों के लिए सरकार ने 'उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि' का गठन करने का निर्णय लिया है।

ग्राम्य विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012–13 में ` 724 करोड़ का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–

राज्य के विकास को सुनियोजित व वास्तविक आवश्यकता अनुरूप गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है। सभी स्तरों पर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के साथ विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। विकास योजनाओं के चयन, तैयारी, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण आदि के लिए अन्तरिक्ष आधारित अनुप्रयोग सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में लगभग ` 16 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी–

मान्यवर, सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता एवं उपयोगिता से हर कोई भली भाँति परिचित है। सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान, आँकड़ों की सटीकता एवं विश्वसनीयता, कार्यकुशलता तथा योजनाओं का क्रियान्वयन एवं सेवाऐं प्रदान करने आदि क्षेत्र में इस आधुनिक तकनीकी की उपादेयता और महत्व स्थापित हो चुका है। भ्रष्टाचार नियंत्रण में भी इस तकनीकी का महत्व है। इस महत्व तथा आवश्यकता को समझते हुए "राष्ट्रीय ई–शासन" कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रगति में है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय को जिला, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर तक

वर्टिकल कनेक्टीविटी अर्थात् ऊर्ध्वाधर संयोजन सुविधा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 'स्वान' के माध्यम से जोड़ा जा चुका है, जिसके अधीन कुल 133 पी0ओ0पी0 अर्थात् उपलब्धता स्थल स्थापित हो चुके हैं जबकि शेष दो की स्थापना के सम्बन्ध में भी शीघ्र कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इस सम्बन्ध में संचार व्यवस्था हेतु कनेक्टीविटी अर्थात् संयोजन सुविधा भारत संचार निगम लिमिटेड से ली गई है। उक्त पी0ओ0पी0 के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को हॉरीजौन्टल कनेक्टीविटी अर्थात् क्षैतिज संयोजन सुविधा से जोड़ा जायेगा ताकि प्रत्येक सरकारी कार्यालय राज्य मुख्यालय स्थिति डाटा सेन्टर से जुड सकें। वर्तमान में कोषागार एवं वाणिज्य कर विभाग इस नेटवर्क से जुड़ जायेगा। उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत स्टेट डाटा सेन्टर तथा कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना और क्रियान्वयन में विगत वर्षों में विलम्ब हुआ है। उल्लेखनीय है कि स्टेट डाटा सेन्टर विभिन्न सरकारी विभागों की सूचनाओं के सुरक्षित संग्रहण तथा आदान प्रदान के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है जबकि कॉमन सर्विस सेन्टर अर्थात् सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम जनता को उनके द्वार के निकट सरकार से प्राप्त होने वाली सेवाऐं और सूचनाऐं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। पूरे राज्य में औसतन 06 गाँवों के माध्यम से एक केन्द्र आधार पर कुल 2804 केन्द्रों की स्थापना की जानी थी जिसके सापेक्ष 09 जनपदों में अभी तक 2329 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जबकि शेष 04 जनपदों में इन केन्द्रों की स्थापना शीघ्र कराने का प्रयास है। स्टेट डाटा सेन्टर सहित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आई0टी0 भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

मान्यवर, सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण किये बिना शासकीय सेवाऐं आम जनता को उपलब्ध कराने सहित अन्य सभी पवित्र लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव नहीं होगी। इस सम्बन्ध में किन्ही कारणोंवश राज्य की प्रगति वर्तमान तक काफी धीमी रही है। राष्ट्रीय ई–शासन कार्यक्रम में विभागों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से किया जाना है। प्रत्येक जनपद में ई–जनपद परियोजना का क्रियान्वयन भी किया जायेगा ताकि जनपद स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाऐं व सुविधाऐं आम जनता को आसानी से मिल सकें।

वर्ष 2012–13 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए ` 34 करोड़ का प्रस्ताव है।

पर्यटन–

राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ हैं तथा यह रोजगार सृजन व आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन विकास के लिए यथोचित पर्यटन स्थलों का चिन्हीकरण, उनका विकास तथा अन्य ढाँचागत व अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर सुनियोजित प्रकार से कार्य किया जाएगा। एशिन डेवलपमेन्ट बैंक तथा तेहरवें वित्त आयोग

से वित्त पोषित योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा रहा है। साहसिक पर्यटन, ईको–टूरिज्म तथा वन्य जीव पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में ईको–टूरिज्म हेतु संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। कतिपय पर्यटन सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं को लोक निजी सहभागिता व्यवस्था से स्थापित एवं संचालित किया जायेगा।

पर्यटन क्षेत्र के लिए वर्ष 2012–13 लगभग ` 104 करोड़ का प्राविधान है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–

मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत खाद्यान्न क्रम, खाद्यान्न एवं चीनी का भण्डारण तथा खाद्यान्न, चीनी व मिट्टी तेल आदि आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उचित दरों पर विक्रय आदि कार्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। विभाग द्वारा अन्नपूर्ण योजना एवं मध्यान्ह भोजन योजना के लिए भी खाद्यान्न वितरण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सही माप तौल पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार विनियामक एवं प्रवर्तन कार्य कर रही है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग कार्यरत हैं।

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इसका कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा सभी स्तरों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। जिससे सही लाभार्थियों को खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का विवरण सुनिश्चित किया जा सकेगा और इस प्रणाली की कमियाँ काफी हद तक दूर हो सकेंगी। सभी स्तर की सटीक सूचनाऐं समय से उपलब्ध होने के कारण वितरण प्रणाली का संचालन एवं नियंत्रण प्रभावी व सुगम हो सकेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु वर्ष 2012–13 लगभग ` 390 करोड़ की व्यवस्था है जिसमें न्यून दरों पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्थान्तर्गत उपभोक्ताओं हेतु ` 350 करोड़ की खाद्यान्न सब्सिडी अनुमानित है।

श्रम एवं सेवायोजन–

राज्य सरकार श्रम कानूनों का प्रवर्तन करते हुए श्रमिकों के हितों की संरक्षा करने के साथ सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत मार्च, 2012 तक 436 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कर कुल 2977 कर्मकार पंजीकृत किये जा चुके हैं जिससे निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड किये जा चुके हैं जिससे निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निधि में ` 14.66 करोड़ की धनराशि जमा की गई है। इस प्रयास को और गति प्रदान की जायेगी।

सरकार बेरोजगारों का पंजीकरण कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता कर रही है। इस सम्बन्ध में देहरादून में स्थापित रिर्सोस सेन्टर को कैरियर काउन्सलिंग हेतु विकसित किया जा रहा है। ऑन लाइन पंजीकरण की व्यवस्था को भी सुचारू किया जायेगा। किच्छा, खटीमा सितारगंज, हल्द्वानी, डोईवाला, लाल तप्पड़ तथा लक्सर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों हेतु औषधालय स्थापित किये जा रहे हैं और जनपद ऊधमसिंह नगर में एक चिकित्सालय एवं राज्य में एक ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज स्थापित कराने की कार्यवाही चल रही है।

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को जीवनयापन भत्ता दिये जाने के लिए अध्ययन कर नियमावली निर्माण व तैयारी के लिए व्यवस्था की जा रही है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 लगभग ` 89 करोड़ का प्राविधान है।

नियोजन–

राज्य के समग्र विकास सहित क्षेत्रीय एवं कार्यक्षेत्र स्तर पर संतुलित विकास के लिए समुचित एवं कुशल नियोजन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। समुचित नियोजन के साथ कार्यों व योजनाओं का नियमित अनुश्रवण, मूल्यांकन, सत्यापन तथा गुणवत्ता नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यह परिलक्षित हुआ है कि वार्षिक योजना का निर्धारण मात्र परिव्यय आवंटन एवं संकलन तक ही मुख्य सीमित है। साथ ही यह भी दृष्टिगत हुआ है कि क्रियान्वयित की जा रही परियोजनाओं की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है और योजना की अवधि लागत उद्‌देश्य तथा "आउट पुट" व "आउट कम" स्पष्ट नहीं हैं। इस व्यवस्था से सीमित संसाधनों का ईष्टतम उपयोग सम्भव नहीं हो पाता है तथा योजनाओं के दोहरीकरण की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। सरकार अनवरत नियोजित विकास के माध्यम से राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास करेगी। इस हेतु एक ओर वर्तमान में संचालित सभी योजनाओं का पुनरावलोकन कर यथाशीघ्र नियोजित विकास की वास्तविक आवश्यकता अनुरूप उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और उपयोगी न रह गई योजनाओं के स्थान पर उपयोगी योजनाऐं संचालित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अन्तर विभागीय सामन्जस्य से समस्या विशेष के समाधान हेतु सुस्पष्ट योजना, अवधि, लागत, उद्‌देश्य, आउट पुट तथा आउट कम लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण किया जायेगा।

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगी।

वर्ष 2012–13 में कुल प्राप्तियाँ ` 21043 करोड़ अनुमानित है जिसमें ` 16159 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा ` 4884 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ` 9369 करोड़ हैं जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ` 3388 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ` 7188 करोड़ में कर राजस्व ` 5980 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ` 1208 करोड़ अनुमानित है।

व्यय–

वर्ष 2012–13 में ऋणों के प्रतिदान पर ` 2297 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ` 2025 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग ` 6419 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ` 494 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में ` 1413 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2012–13 में कुल व्यय ` 21932 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में ` 15717 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ` 6215 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है। कुल व्यय में ` 7049 करोड़ आयोजनागत एवं ` 14883 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में प्रस्तावित है। कुल राजस्व व्यय में ` 3152 करोड़ आयोजनागत पक्ष एवं ` 12565 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है जबकि कुल पूँजीगत व्यय में ` 3897 करोड़ आयोजनागत पक्ष में एवं ` 2317 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में होना अनुमानित है।

समेकित निधि में घाटा–

समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ ` 21043 करोड़ में कुल व्यय ` 21932 करोड़ घटाने के पश्चात् वर्ष 2012–13 में ` 889 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक–

वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि ` 442 करोड़ का राजस्व सरप्लस सम्भावित है जबकि ` 3358 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा के समायोजन–

वर्ष 2012–13 में समेकिन निधि का घाटा पूरा करने के लिए ` 700 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष–

वर्ष 2012–13 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष ` 85.10 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियाँ एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष ` 53.62 करोड़ ऋणात्मक रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं मा0 मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के लिए मंत्रिमण्डल के अपने अन्य सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करती हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उनके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके परिश्रमिक एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

मैं प्रदेशवासियों का निम्न पंक्तियों के साथ प्रदेश के विकास के लिए आगे आने का आमंत्रण करती हूँ :–

उठो कि वक्त आ गया, उठो वतन के वास्ते
बुला रही है मंजिलें पुकारते हैं रास्ते
नई तरंग चाहिए, नया जश्न चाहिए
फिर इंकलाबे–वक्त को तुम्हारा वक्त चाहिये।]

राष्ट्र नायक स्वर्गीय पं0 जवाहर लाल नेहरू जी भी जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी मेज पर लिखी निम्न पंक्तियों से कार्य करने की प्रेरणा लेते थे। ये पंक्तियाँ हमारे लिये प्रेरणादायक है :–

Woods Are Lovely Dark and Deep
But I have promises to keep
Miles to go before I sleep
Miles to go before I Sleep

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2012–13 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

ज्येष्ठ 10, शक सम्वत् 1934

तद्नुसार

31 मई, 2012

नोटः– [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

(शेष बजट भाषण यथावत् पढ़ा गया।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक : 31 मई, 2012

डी0पी0 गैरौला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 विधान सभा / 375–12–09–2013–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।

नोट 20 विधान सभा/375 दिनांक 12–9–2013 का आथर से वापस आ कर छपने गया है। दिनांक 10–3–2018 को